उन्नति विचार

वर्ष : 13 अंक : 3 सितंबर-दिसंबर, 2008

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
- नए दक्षिण एशिया की कल्पना

आपके लिए
- जलवायु में परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष: विभाजित विश्व में मानवीय एकता 10

गतिविधियाँ 16

संदर्भ सामग्री 18

आपका अभिप्राय 22

अपने बारे में 24

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

समावेशी और लोकतांत्रिक : संयुक्त राज्य दक्षिण एशिया

दक्षिण एशिया दोनों प्रकार के कारकों के लिए ज्वालामुखी है। ऐसे कारक भी हैं, जो जीवन और मानव विकास को बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कारक हैं, जो जीवन व विकास से इनकार करते हैं। हिंसक संघर्ष विभाजन तथा दल-केन्द्री राजनीति, कौमवाद, धर्म-जुनून, मानव विकास के लिए संघर्ष, महिला-पुरुष समानता के लिए संघर्ष, मानवाधिकारों का उल्लंघन, पर्यावरण के प्रति उदासीनता, शस्त्रीकरण, क्षेत्रीय वर्चस्व, तमाम प्रकार का आतंकवाद (विकास, जाति, विद्रोह तथा आतंकवाद के विरोध के नाम पर अत्याचारी कानून) और सच्चे लोकतंत्र के लिए संघर्ष आदि सभी दक्षिण एशिया के हिस्से हैं। दक्षिण एशिया अनेक बातों में समृद्ध क्षेत्र है और फिर भी पूरी दुनिया के एक तिहाई गरीब यहां रहते हैं। रोज १० करोड़ लोग भूखे सोते हैं। इसका इतिहास राजाशाही और उपनिवेशवाद से भरा पड़ा है। दक्षिण एशिया के लोग और खासकर धनवान, शक्तिशाली लोग, शासक वर्ग तथा कबीलाई नेता वर्तमान समस्याओं के लिए इतिहास को जिम्मेदार बताते हैं। एशिया में जो पतन हुआ है, उसमें इस भद्र वर्ग ने भी काफी योगदान दिया है। इसमें मुख्य कारण उनकी सत्तालोलुपता तथा सम्पत्ति का संग्रह है।

हिंसाग्रस्त एक वास्तविकता है और इसमें हम एक अलग दक्षिण एशिया तथा भारत के बारे में कल्पना न करें, तो गौरवपूर्वक सिर उठाना मुश्किल है। परिस्थिति का विश्लेषण तथा अनुसंधान करने पर दिखता है कि क्षमताजनक और बाधक कारकों के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है और सार्वजनिक कल्याण के लिए सार्वजनिक कदम उठाने जरूरी हैं। ये कदम सबके लिए अच्छी शिक्षा के अवसर बढ़ाएं, तमाम स्तर पर नीतिगत व कार्यक्रमोन्मुखी सुधार आएं और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उनका अमल हो तथा उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए।

परिवर्तन के लिए ये सार्वजनिक कदम लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी मूल्यों वाले हों, जिससे नए दक्षिण एशिया और भारत का जन्म हो। लोगों व खासकर महिलाओं, बच्चों, भूमिहीनों, निरक्षरों, वृद्धों, सीमांत किसानों, मछुआरों, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की सहभागिता की अवहेलना करके देश का विकास नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य अधिकार तथा महिला-पुरुष समानता के साथ-साथ सामाजिक समावेश मानव समुदायों के विकास व स्वस्थ और गुंजायमान लोकतंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। चुनाव आधारित लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण अंग है और एक आगे कदम है, परंतु वही पर्याप्त नहीं है जो अभी दक्षिण एशिया के देशों में दिखता है। लोकतंत्र गुंजायमान हो, इसके लिए जरूरी है कि गतिशील व समावेशी लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। सामाजिक विश्वसनीयता वाले सक्षम व प्रतिबद्ध नागरिकों का होना भी उतना ही जरूरी है। इन संस्थाओं

शेष पृष्ठ 28 पर

नए दक्षिण एशिया की कल्पना

भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में २००७ का वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहा। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की १५०वीं वर्षगांठ का वर्ष था, तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जन्म शताब्दी का भी वर्ष था और देश की आजादी की ६०वीं वर्षगांठ का भी। अंग्रेजों की विदाई के साथ स्वतंत्रता, सुशासन और संप्रभुत्व का युग शुरू हुआ। इस लेख में नई दिल्ली के **इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट** के सेवानिवृत प्रशासनिक निदेशक **श्री जिमी डाभी** ने भारत के संदर्भ में नए दक्षिण एशिया की अपनी कल्पना व्यक्त की है। उनका यह लेख इंडियन जर्नल ऑफ यूथ अफेयर्स के जनवरी-जून, २००८ के अंक में प्रकाशित हुआ था।

वर्तमान दक्षिण एशिया

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में दक्षिण एशिया शामिल है। लगभग १.५ अरब लोग यानी दुनिया के चौथे हिस्से की आबादी यहां रहती है। इसमें अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा भारत सहित ८ देश शामिल हैं। पिछले वर्षों में उन्होंने एकीकरण और विभाजन का अनुभव किया है। इनमें कुछ अनुभव लोगों के लिए अत्यंत लाभदायी रहे हैं, तो कुछ दुःखदायी रहे हैं। कई बार लोग इन प्रक्रियाओं में वस्तु बन गए हैं और हमेशा शक्तिशाली लोगों को ही इस प्रक्रिया का लाभ मिला है तथा जब उन्हें लाभ नहीं मिला, तब उन्होंने इस या उस तरह से इस प्रक्रिया में विक्षेप डाला है। दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) ऐसी ही एक प्रक्रिया है। यह उपरोक्त ८ देशों का संगठन है और इसकी स्थापना ८ दिसम्बर, १९८५ को हुई थी। दक्षेस में काफी समय, शक्ति और धन खर्च होने के बावजूद उसने लोगों का दक्षिण एशिया नहीं बनाया है।

दक्षिण एशिया के कुछ देशों को स्वतंत्र हुए ६० वर्ष हो गए हैं। इससे मन में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक हैं? स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अर्थ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है। अकसर स्वतंत्रता का अर्थ क्षेत्रीय स्वतंत्रता से होता है और इसमें सामाजिक भेदभाव-कलंक से स्वतंत्रता, भुखमरी-अभाव-रोगों-गरीबी से स्वतंत्रता, अलोकतांत्रिक शासन से स्वतंत्रता, नव उपनिवेशवाद और हिंसक संघर्ष आदि से स्वतंत्रता शामिल नहीं होती। गौरवपूर्ण जीवन, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मान्यता, मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा मूलभूत मानवाधिकारों आदि का भी इसमें समावेश होता है तथा यह सार्वभौम राज्य के विचार से आगे की बात है। एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया दुनिया के एक तिहाई गरीबों का निवास स्थान है और रोजाना १० करोड़ गरीब भुखमरी से पीड़ित रहते हैं तथा स्वतंत्रता आंदोलन में महान नेताओं और महानुभावों ने जो कल्पना की थी, उससे यह चित्र बिल्कुल अलग है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी जारी है। बढ़ती असमानता, पहचान की राजनीति, सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों के इस समय में विभाजन, अविश्वास तथा एक-दूसरे को समर्थन देने की बजाए तोड़ने की राजनीति का रुख बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे राष्ट्रीय वीर सेनानियों ने ही नहीं बल्कि आपके और मेरे जैसे आम लोगों ने भी भाग लिया था। उनके नाम कदाचित इतिहास में दर्ज नहीं हैं और स्मारकों में उकेरे हुए नहीं हैं। इसके बावजूद हममें से कई लोगों के लिए स्वतंत्रता के ६० वर्ष रवीन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना 'स्वतंत्रता का स्वर्ग' नहीं बने हैं, जिसमें मेरा देश जागृत हुआ हो। उपनिवेशवादी सत्ता से स्वतंत्रता कुछ देशों, समुदायों और परिवारों के रक्तरंजित विभाजन से ओतप्रोत हो गई। दक्षिण एशिया का इतिहास अत्यंत सुखद और दुःखद दोनों है। हमें अपने आपको ही दोषी मानना पड़ेगा। हमारा मानस अभी भी पुराना उपनिवेशवादी मानस है, सामंतशाही, पितृसत्तात्मक, कौमवादी, जातिवादी, अधार्मिक और क्षेत्रवादी मानस है, भेदभावजनक विचारधाराओं, व्यवहारों और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ मानस है। हम केवल हमारे राजनेताओं को ही दोष देंगे, तो उचित नहीं होगा, क्योंकि वे भी अंततः तो हमारे द्वारा ही चुने हुए

हैं और हमने ही उन्हें शासन करने के लिए भेजा है। इतने वर्षों के दौरान हमने दक्षिण एशिया और उसके लोगों को विभिन्न पंथों, वर्गों, जातियों, उप जातियों, कबीलों, प्रदेशों, वंशों, विचारधाराओं और सीमाओं में बांटा है। अंतर और वैविध्य मानव विरासत का ही हिस्सा है, परंतु हम उन अंतरों को स्वीकारने और उनका आदर करना ही भूल गए हैं। हम विभाजन, शासन करने, साजिशें रचने, संहार करने और वर्चस्व भोगने के लिए अंतरों का उपयोग एक बहाने के रूप में करते हैं। जो कृत्रिम विभाजन और सीमाएं हमने खड़ी की हैं, उन्हें पौराणिक कथाओं, धार्मिक विचारधाराओं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भय और 'दुश्मन' के सर्जन द्वारा समर्थन और बल मिलता है। सत्ता, सम्पत्ति और अहम के लोभ में हमने युद्ध किए हैं, अनेक निर्दोषों को हमने हमारे देश और पड़ोस में मार डाला है।

अन्याय और हिंसक संघर्ष की भूमि

दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे जटिल क्षेत्र है। इसमें अनेक वंश हैं। भाषाओं, क्षेत्रों, कौम, जातियों और सम्प्रदायों के आधार पर अनेक विभाजन हैं, परंतु बाह्य रूप से वे प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम शिया व सुन्नी में, हिन्दू जातियों व उप जातियों में बंटे हुए हैं। इसके अलावा यहां जैन, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी, सिख, पारसी, यहूदी, बहाई धर्मी तथा नास्तिक भी हैं।

इसके बावजूद, बहुवाद या अनेक संस्कृतियों का स्वीकार इस क्षेत्र की राजनीतिक संस्कृति के लिए शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत शायद ही होता है। एक संभावित अपवाद भारत है, जहां वंशीय समूह सैद्धांतिक रूप से भी सांस्कृतिक व राजनीतिक स्वायत्तता के लिए लोकतंत्र में समान राजनीतिक अवसर रखते हैं, परंतु भारत में राजनीतिक संस्थाओं के विषयों में राज्य के हस्तक्षेप से बहुसांस्कृतिक व्यवस्थाएं विक्षिप्त होती हैं। इससे राजनीतिक अधःपतन होता है और मूल्यों का क्षरण होता है। नेपाल में जो नया राजनीतिक माहौल खड़ा हो रहा है, उसे जांचने की जरूरत है। वहां नागरिक समाज और राजनीतिक दलों में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, जो इस या उस रूप में राजाशाही जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, अफगानिस्तान में तालिबानों की मजबूत पकड़ और बंग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप दक्षिण एशिया की वास्तविकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दक्षिण एशिया एक क्षेत्र के रूप में, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में और पर्यावरण के रूप में मुसीबत में है, परंतु यह हकीकत है कि यह अनेक राष्ट्र-राज्य, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अन्याय व हिंसक संघर्षों से घिरा हुआ है। वंचित, पिछड़े लोगों और उपेक्षित लोग अपनी तरह से और कभी संगठित रूप से दमन, अन्याय और अत्याचारों का प्रतिकार करते हैं और काफी भारी कीमत भी चुकाते हैं। उनकी जिंदगी कई समितियों में आयोगों और सीबीआई की जांचों में दब जाती है।

दक्षिण एशिया में तमाम प्रकार के संघर्ष परस्पर सम्बंधित होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीते हैं। विभिन्न देशों के बीच वंशीय सम्बंध हैं और अधिकांश समाजों में वर्गों, जातियों और वंशों के आधार पर विभाजन है। अमुक समाज या देश में कभी-कभी जो संघर्ष व्याप्त होते हैं, वह जब दो समूहों की मांगें उनके महत्व के हितों के साथ टकराते हैं, तब दुगुने हो जाते हैं। भारत में बोडो जाति के लोग अलग राज्य के लिए आंदोलन करते हैं, तब उल्फा जैसा उग्रवादी असमी गुट उसका विरोध करता है, क्योंकि वह असम को एक सार्वभौम देश बनाना चाहता है। दोनों समूहों के लिए देश की केन्द्र सरकार समान दुश्मन है।

कई बार संघर्षों का संक्रमण लगता है। एक वंशीय समूह का आंदोलन दूसरे समूह के लिए प्रोत्साहक बनता है और वह उसके अधिकार भारपूर्वक प्रस्तुत करता है। नगा जाति के लोगों ने अलग राज्य की मांग की, इससे पूर्वोत्तर भारत में वंशीय राष्ट्रीयता के आंदोलन हुए। दक्षिण एशिया में भारत एक ऐसा देश है, जहां सतत अनेक संघर्ष जारी रहते हैं। जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छोटा नागपुर आदिवासी पट्टा आदि इनमें से कुछ हैं। इसके अलावा जातिगत तथा धार्मिक संघर्ष तो हैं ही। देश भर में जातिवादी और कौमी हिंसा दिखती है। १९८४ में सिख, १९९२ और २००२ में मुस्लिम विरोधी हिंसा तथा उड़ीसा में कलिंगनगर व पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम हिंसा इसके उदाहरण हैं। समाज में जो तमाम प्रकार के संघर्ष दिखते हैं, उनका कारण विविध समूहों की शिकायतें और राज्य की प्रतिक्रिया है। दक्षिण शिया में वंशीय संघर्षों में जो विविध समूहों की शिकायतें व हित दिखते हैं, उनके अनेक पहलू हैं तथा विभिन्न समूहों के बीच की स्पर्धा राजनीतिक प्रक्रिया में ही दिखती

है। कुछ समूहों की शिकायतें स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय प्रादेशिक रचना की हुई प्रक्रिया से है। टाडा और पोटा जैसे कानून राज्य के लिए दमन का हथियार बने और समूहों की शिकायतें दब गईं। दुनिया भर में उपनिवेशवादी सत्ताओं ने जाते-जाते अनंत उलझनें और मुसीबतें विरासत में दे दीं। उनके स्वच्छंद रूप से सीमाएं तय करने के कारण ऐसा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की जरूरतों, इतिहास और भावनाओं की अवहेलना से भी ऐसा नहीं हुआ है, परंतु इन सीमाओं का वैज्ञानिक सीमांकन होने के कारण भी ऐसा हुआ है। उपनिवेशवाद से पूर्व हम एक स्वायत्त व्यवस्था थे, ऐसी भूमिका के साथ जिन्होंने अलग राष्ट्र-राज्य के लिए आशाएं विकसित कीं, उनके लिए आजादी मिलने के बाद जो राष्ट्रीय सीमा तय हुई, वे अन्यायी और स्वच्छंद थी और उनमें ऐसी भावना अभी भी व्याप्त है। भारत में नगालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, असम और कश्मीर जैसे पांच वंशीय आंदोलन खुद को ठगा हुआ मानते हैं या इसे उपनिवेशवादी शासन की विरासतें मानते हैं। नगा, मिजो, मैती और असमी राष्ट्रवादियों ने भारत में अपने प्रदेशों के समावेश के खिलाफ आपत्ति जताई थी और अलग देश के लिए उन्होंने अपना मजबूत दावा पेश किया था।

इसी प्रकार बलूच अल्पसंख्यकों को लगता है कि उन्हें जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया है और उन्होंने पंजाबियों के वर्चस्व वाले भाग में जो अपना राष्ट्र खोया है, उसे पुनः पाना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बंगलादेश विश्व का सबसे अधिक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत देश है। ऐसी छवि व्याप्त है कि इसमें भ्रष्टाचार गहरे तक पैठ कर चुका है। मौजूदा कार्यवाहक प्रशासन को सेना का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने का वचन दिया है। क्या वह यह करेगा? भयंकर गरीबी के अलावा देशज लोगों के अधिकारों का हनन बंगलादेश में बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान में हाल का आपातकाल वहां के हिंसक संघर्ष में वृद्धि करता है। आपातकाल हो या मार्शल लॉ, इरादा तो सत्ता पर बने रहने का होता है। लोकतंत्र और लोगों की समस्याओं को कौन पूछता है? कई बार यही असंतोष का एकमात्र कारण नहीं होता कि जबरन प्रदेश मिला दिए गए हों, बल्कि वह परस्पर सम्बंधित ऐसी कई समस्याओं का स्रोत बनता है। इसीलिए इन समूहों की समस्याएं सघन बनती हैं। जो समूह अपनी क्षेत्रीय पहचान गंवाते हैं और जिन वर्चस्व वाले समूहों से वे मिलते हैं, वे उनके इस मिलाप से घबराते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि स्वच्छंद रूप से वंशीय सीमाएं तय हो जाएंगी। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वे अपनी वंशीयता के आधार पर अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं। कई बार राज्य की पक्षपाती भूमिका संघर्ष को अधिक तीव्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुभव दर्शाते हैं कि बहुवंशीय समाज में यदि संघर्ष चलते हों, तो राज्य एक स्थापित हित के रूप में व्यवहार करता है, वह वर्चस्व वाले समूह या बहुसंख्यक समूह के एजेंट के रूप में बर्ताव करता है तथा विविध स्पर्धक समूहों के बीच निर्णायक के रूप में व्यवहार नहीं करता।

मानवाधिकारों का उल्लंघन और जनविरोधी शासन

विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सुशासन का एजेंडा रखते हैं और वे जिन विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देते हैं, उनकी शर्तों को उसका भाग मानते हैं। सुशासन के आवरण में इन संस्थाओं का अंतिम उद्देश्य नहीं समझने जितना भोला भी नहीं बनना चाहिए। अकसर उनका सुशासन का विचार उदारीकरण, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, स्थानांतरण सम्बंधी सख्त कानून, राज्य के हस्तक्षेप में कमी और आतंक के खिलाफ युद्ध सम्बंधी नीतियों का ही समावेश करने वाला होता है। सुशासन के लिए उनकी शर्तें प्रायः उनकी सुविधा के लिए होती हैं और यूरोप तथा अमरीका के हितों को पोषित करने वाली होती हैं। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के लिए अनुकूल नीतियां बनाना ही सुशासन कहलाता है और इस प्रकार वैश्विक व्यापार तथा वित्तीय सौदे राज्य के अंकुश के बगैर तथा बाजार के नियमानुसार चलें और ये बाजार तो उनके ही अंकुश में हैं। हालांकि हमारे लिए सुशासन का अर्थ है सच्चा लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, सहभागी समावेशी विकास, तमाम स्तर पर सहभागी और समावेशी सरकार, लोककेन्द्री तथा मानवाधिकार उन्मुखी न्यायपालिका, लोगों की सेवा करने वाली संवैधानिक संस्थाएं, न कि भद्र वर्ग और राजनीतिक दलों की सेवा करने वाली संस्थाएं। हमें वह शासन चाहिए जो अधिकार आधारित हो। ऐसा करना आसान नहीं है। दक्षिण एशिया में शासन वांछित पद्धति के मुकाबले काफी दूर है। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अपराधीकरण, क्षेत्रीय वर्चस्व तथा पुरुषों का वर्चस्व आदि जैसे दूषण दिखाई देते हैं। नेपाल में लोकतंत्र और राजाशाही के बीच का

संघर्ष, बंगलादेश में तानाशाही और सैन्य शासन, पाकिस्तान में लोकशाही और सैन्य कानून के बीच का संघर्ष तथा भारत में नकली एनकाउंटर, आतंकवाद व राजनीतिक में कौमवाद आदि कुशासन तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन को इंगित करते हैं। पाकिस्तान अपने सामाजिक-राजनीतिक इतिहास के मुश्किल चरण में है। वर्तमान आपातकाल पाकिस्तान के सैन्य समर्थन वाली राजनीति का हिस्सा है। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद के आधे से अधिक समय तक पाकिस्तान में सैन्य तानाशाहों ने शासन किया है। यह व्यवस्था चालू रखने वाले कारकों में कई बातों का समावेश होता है: सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के तमाम क्षेत्रों में सेना की सहभागिता, सामंतशाही ढांचा, नागरिक समाज की कमजोरी और सेना, उद्योगपतियों, जमीन मालिकों तथा प्रशासन का वर्चस्व। वहां बार-बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। नेपाल, बंगलादेश तथा अफगानिस्तान में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है।

सच्चे वैश्वीकरण के बुनियादी सिद्धांत तो ये हैं कि सीमाएं हटा दो, नियंत्रण हटा दो और लोगों, टैक्नोलॉजी, ज्ञान तथा संसाधनों की मुक्त आवाजाही होने दो। हालांकि वैश्वीकरण ने जो स्थितियां खड़ी की हैं, उसमें वित्तीय सौदे राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुके हैं, लेकिन श्रम की आवाजाही नियंत्रित है और इस प्रकार वैश्वीकरण विकृत बना है। पिछले डेढ़ दशक ने यह साबित किया है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण कुछ लोगों के कल्याण के लिए है और अन्य करोड़ों लोगों के लिए यह एक अभिशाप है। उदाहरण के तौर पर १९९० के दशक में दक्षिण एशिया के शेर माने जाने वाले देशों का पतन हुआ, अफ्रीका के देश अधिक गरीबी में धकेले गए और भारत सहित एशियाई देशों में धनवानों व गरीबों के बीच खाई बढ़ी है।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

दक्षिण एशिया के कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अधिक संपन्न हैं। पर्वत और नदी दक्षिण एशिया में एक से अधिक देशों में बहती हैं तथा उन संसाधनों के आवंटन के अवसर पैदा करते हैं, पड़ोसी परावम्बी हैं, ऐसी छवि भी बनाते हैं, परंतु इससे संघर्ष खड़े होने की संभावना भी रहती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगत्जे नदी का स्रोत हिमालय है। सदियों से पर्वतों, नदियों, वनों और मैदानी क्षेत्रों ने एक या दूसरी तरह से करोड़ों लोगों का पोषण किया है। लगभग २५० करोड़ लोग हिमालय की नदियों के तटवर्ती प्रदेशों में रहते हैं। इनमें बंगलादेश के लोग भी शामिल हैं। हिमालय का प्राणी जगत और वनस्पति जगत, जलवायु, वर्षा, ऊंचाई और ज़मीन जैसे-जैसे बदलते हैं, वैसे-वैसे बदलते हैं। ये संसाधन आर्थिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संघर्ष पैदा करते हैं और इससे इन क्षेत्रों के लोगों के बीच वैमनस्य खड़ा हुआ है।

विभिन्न देशों ने इस क्षेत्र में जो विविध विकासोन्मुख योजनाएं शुरू की हैं, उनसे कुछ लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन इससे मानव-सृजित दुर्घटनाएं पैदा हुई हैं। यूनिसेफ द्वारा उन समस्याओं को सामने लाया गया है जो बाढ़ के कारण पैदा हुई हैं। पीने के पानी की कमी विश्वव्यापी समस्या है और दक्षिण एशिया के कई क्षेत्रों में यह समस्या काफी तीव्र है। वैश्वीकरण की जो व्यापकता तथा मुनाफे का जो लोभ है, उससे कई सरकारें सभी जगह पानी का निजीकरण से नहीं हिचकेंगी। लोगों के विरोध के कारण वे अब तक इसमें सफल नहीं हुई हैं। दक्षिण एशिया को जल संसाधनों का जतन करने और उनका प्रबंध करने के बारे में कई चुनौतियां झेलनी हैं। तीसरे विश्व में जल संसाधनों की लूट बिल्कुल सामान्य बन गई है। मानव के पर्यावरण सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र की स्टॉकहोम घोषणा कहती है कि हवा, पानी, ज़मीन, वनस्पति, प्राणी जगत और प्राकृतिक संसाधन हैं और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए सावधानीपूर्वक आयोजन व प्रबंध द्वारा उसका जतन होना ही चाहिए। वन्य जीव सहित प्रकृति का जतन इसी से आर्थिक विकास के आयोजन में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

विकास की परियोजनाओं में अकसर मुनाफे की खोज छिपी होती है। बांधों, खनन कार्य, राष्ट्रीय अभयारण्य व उद्यान, पर्यटन, ढांचागत सुविधाएं आदि ऐसी परियोजाओं में शामिल हैं। ऐसी परियोजनाएं सुदूर समुदायों के लिए भारी नुकसान करती हैं तथा इसके अलावा पर्यावरण जोखिम भी खड़ा करती हैं। पिछले एक दशक के दौरान इम्पॉवरिशमेंट, रिस्क्स एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन (आईआरआरआर) मॉडल का व्यापक उपयोग हुआ है और साथ

ही साथ विकास के कारण होने वाले विस्थापन व पुनर्स्थापन पर अनुसंधान हुए हैं। इन दोनों ने इस बारे में कई जानकारियां प्रदान की हैं और यह साबित किया है कि जिनका विस्थापन होता है, उनकी गरीबी बढ़ती है। 'अर्थः अ बॉल ऑफ फायर' नामक अपने लेख में अनुराधा दत्त लिखती हैं कि हिमालय की लगभग ७० बड़ी हिमनदियों ने सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा तथा यमुना जैसी नदियों का सृजन किया है, परंतु एक अनुमान ऐसा है कि पिछले दस वर्षों के दौरान ये हिमनदियां ६७ प्रतिशत तक पिघल गई हैं। गंगोत्री हिमनदी हर वर्ष ३० मीटर तक पिघल रही है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाईमेंट चेंज के अनुसार मानव सृजित ग्लोबल वॉर्मिंग से दुनिया भर में बाढ़ और अकाल पैदा होंगे। परिणामतः बाढ़ आएगी व समुद्र का स्तर ऊँचा हो जाएगा तथा जलवायु की आत्यंतिक स्थिति पैदा होगी। दक्षिण एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में लोग खेती पर निर्भर हैं और इससे जुड़े रोज़गार भी पाते हैं। मसूरी की लालबहादुर शास्त्री नेशनल एकेडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो अध्ययन किया है, वह दर्शाता है कि भारत में भूमि सुधार विफल रहे हैं तथा जमींदारों, पुलिस, अफसरों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ की इसमें अहम भूमिका रही है। जमीन की मालिकी बहुत थोड़े परिवारों में केन्द्रित हो गई है और अब वह बड़े औद्योगिक गृहों में केन्द्रित हो गई है। सरकार की सेज सम्बंधी नीति इसके लिए ज़िम्मेदार है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोगों के पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है। जमीन मालिकों की कुछ जमीन का उत्पादक उपयोग होता ही नहीं है। नेपाल में जमीन मालिक राजनीतिक सत्ता के केन्द्र के साथ बहुत प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। नेपाल व भारत में जमीन का पुनर्आवंटन माओवादी आंदोलन का मुद्दा रहा है।

'द क्वेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डवलपमेंट' नामक अपने लेख में बेराक्लोध सोलोन कहते हैं की नीतियां निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदम हैं। ये अनिवार्यतः संघर्षात्मक हैं। इतना ही नहीं उनके प्रभाव गतिशील व्यवस्थाओं में अस्पष्ट रहने का रुख रखते हैं। उनके परिणाम अनेक अनपेक्षित आंतरिक व बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं और उनके कुछ समर्थकों के इरादे तथा हितों से भी प्रभावित होते हैं। जो सार्वजनिक नीतियां निरंतर विकास हासिल करने के लिए होती हैं, उनके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पैदा होते हैं। इसके अलावा यह दलील दी जाती है कि स्थानीय स्तर का लोकतंत्र विकेन्द्रीकरण को निरंतर विकास के लक्ष्य में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल, सैन्य, वित्तीय व राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीकरण दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। यथासंभव निचले स्तर पर संसाधन और निर्णय वितरित होने वाले सिद्धांत को वास्तव में छोड़ दिया जाता है। हालांकि व्यवहार में यह स्तर कहां है, उसके लिए काफी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और नीतियों में जो सुधार हो रहे हैं, उनमें भी विकेन्द्रीकरण का अभाव दिखता है। इसके अलावा इसमें संसाधनों का पुनर्आवंटन भी नहीं दिखता। इससे कई बार वह प्रत्याघाती साबित होता है।

बेराक्लोध सोलोन इसके बावज़ूद कहते हैं कि निरंतर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की सस्थाओं, बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, सरकारों और कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच जो भागीदारी व्याप्त है, वह बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगी, ऐसी कम्पनियां अब विश्व के बहुत वित्तीय संसाधनों पर अंकुश रखती हैं तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी पैदा करने की उनकी क्षमता राज्य की राजनीतिक-सैन्य शक्ति के लिए अनिवार्य है। वे सभी वैचारिक रूप से व नीतियों के बारे में बहुत प्रभाव डालते हैं और वे कार्य वे जन-माध्यमों पर अंकुश रख कर करते हैं, परंतु यदि उन्हें कुछ शक्तिशाली राष्ट्र-राज्यों द्वारा सैन्य व राजनीतिक रक्षण न मिले, तो वे लाचार हो जाते हैं। शक्तिशाली कम्पनियां अब 'कॉर्पोरेट जिम्मेदारी' द्वारा और ट्रिपल बॉटम लाइन अपनाकर निरंतर विकास लाने का दावा भी करती हैं। इसमें वे ऐसा दावा करती हैं कि वित्तीय मुनाफे के लक्ष्य तथा सामाजिक सुख-सुविधा और पर्यावरणीय रक्षण को एक साथ हासिल किया जाएगा। सोलोन की दलील ऐसी है कि हाल की वैश्विक व्यवस्था में ऐसी बात करना बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। इसका अर्थ तो जिम्मेदार और प्रतिभावात्मक शासन, सहभागी निर्णय प्रक्रिया मूल्यवान सार्वजनिक तथा संवैधानिक संस्थाओं, लोककेन्द्री बाजार नियमनों तथा लेखा पद्धतियों, कर ढांचे, सब्सिडियों, समान व समावेशी सामाजिक सम्बंध आदि होता है। कुछ प्रेक्षकों के अनुसार आज की परिस्थितियों में तो ऐसा भविष्य काल्पनिक आदर्श जैसा है।

भारत के अरुण श्रीवास्तव तथा पाकिस्तान के मोहम्मद खुर्शीद मेरे

मित्र हैं। उन्होंने अपने आगामी लेख इमेजिन न्यू साउथ एशिया-नैचुरल रिसॉर्स मैनेजमेंट में लिखा है कि जमीन के उपयोग का आयोजन तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) विशाल योजनाओं के लिए नहीं किया जाता है और इससे प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा पैदा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों की जो नाज़ुक पर्यावरणीय व्यवस्था है, उसका रूपांतरण खेती की जमीनों में हो रहा है, पेड़ बड़े पैमाने पर कट रहे हैं और बड़े पैमाने पर चराई हो रही है। पर्वतों में मकानों का निर्माण किसी भी प्रकार के नियमों को ध्यान में रखे बगैर हो रहा है। इससे इन पर्वतों में बहुत तेजी से जमीनों का क्षरण हो रहा है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों के उपयोग तथा औद्योगिक व घरेलू जहरील कचरा डालने से खेती की जमीन प्रदूषित हो रही है। औद्योगिक व ठोस कचरे से पानी प्रदूषित हो रहा है। समुद्री पर्यावरण व्यवस्था को रासायनिक कूड़े से ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इसमें अशुद्ध ठोस व द्रव कचरा भी बड़े शहरों से डाला जा रहा है। इसके अलावा मैन्ग्रोव जंगलों का नाश हो रहा है। परिणामतः ज़मीन पर मीठे पानी की जैव विविधता और समुद्री प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हुआ है। संसार के लिए ऊर्जा संकट कोई नई बात नहीं है, खास कर विकसित जगत के लिए इसका कारण उपभोक्तावादी जीवनशैली, पूंजी गहन औद्योगिक विकास है। तेल, कोयला व लड़का ऊर्जा स्रोत हैं तथा दक्षिण एशिया ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा का विकल्प अंधाधुंध तरीके से अपनाया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसका पक्ष लेते हैं, परंतु जल विद्युत व पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता।

सामाजिक न्याय की कीमत पर आर्थिक विकास

अंग्रेजों के शासन के दौरान आर्थिक वृद्धि तथा विकास का मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों का शोषण करना था। स्वतंत्रता के बाद का जो अनुभव है, वह देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत कुछ कह जाता है। ये बदलाव आर्थिक वृद्धि व विकास के बिना संभव नहीं होते। अनेक क्षेत्रों में हमने भारत के नागरिकों का जीवन सुधारने के लिए अच्छी तरह से आयोजन किया है और कुछ समस्याओं का हमने अच्छी तरह से हल भी किया है। हालांकि अब यह बहुत सही ढंग से समझा जा रहा है कि विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि नहीं है। सामाजिक न्याय का विचार आर्थिक विकास से आगे बढ़ता है। आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, परंतु मात्र वृद्धि नहीं है यानी कि मात्र जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि नहीं है। हेन्री बारतोली 'रिथिंकिंग डेवलपमेंट' में कहते हैं कि "विकास में कम आय वाले देशों में भौतिक सुख-सुविधा की वृद्धि का समावेश होता है। इसमें खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की आयु तथा गौरव का भी समावेश होता है। इसमें ऐसी भी धारणा है कि जीवन संवर्धन और खुशनुमा विकास दुनिया भर के महिला-पुरुषों के लिए अनिवार्य है"। विकास सम्बधी नीति का कार्य वृद्धि करना तो है ही, परंतु वृद्धि के फल समान रूप से बंटे, ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। इसमें राजनीतिक व आर्थिक चयन के सवाल खड़े होते हैं। अतः सरकार, बाज़ार और नागरिक समाज की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना परिवर्तन संभव नहीं है।

मैन एण्ड डेवलपमेंट में जुलियस न्यूरेरेरे लिखते हैं कि गरीबी आधुनिक विश्व की समस्या नहीं है। गरीबी निवारण के लिए हमारे पास ज्ञान व संसाधन दोनों हैं। वास्तविक समस्या तो मानव जाति का धनवानों और गरीबों में किया गया विभाजन है, जो दुःख, युद्ध और तिरस्कार पैदा करता है। २००३ की मानव विकास रिपोर्ट तथा विश्व बैंक के अध्ययन भी यही कहते हैं कि गरीबी महिला-पुरुषों के बीच सामाजिक भेदभावों से जुड़ा मसला है। महिलाएं गरीबी का सर्वाधिक शिकार होती हैं, फिर वह ग्रामीण हो या शहरी। असमानता से महिलाएं वंचित बन जाती हैं और उनकी पूरी जिंदगी के दौरान वे वंचित रहती हैं तथा उनके विकास के अवसर दब जाते हैं। बढ़ती शहरी गरीबी में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, गरीब परिवारों में पत्नियां, माताएं, पुत्रियां, पुत्र वधुएं आदि होती हैं। गरीब एकाकी महिलाएं उन्हीं का एक हिस्सा हैं, क्योंकि वे कहीं जा नहीं सकतीं, उनके पास सीमित विकल्प होते हैं, जीवन निर्वाह के सीमित संसाधन और रास्ते होते हैं। कम शिक्षा और खराब स्वास्थ्य उनकी क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं तथा इससे रोज़गार पाने की उनकी क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। महिलाओं में क्षमता के अभाव के कारण वे बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में अधिक निःसहाय बनती हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ गरीबी भी आती है। वह बहुपक्षीय है, उसका स्वरूप, उसकी गतिशीलता तथा गहनता स्थल-स्थल और समय-समय पर अलग-अलग होती है। राधाकृष्णन एन. राव

कहते हैं कि "गरीबों का विशेष नक्शा तथा सामाजिक बुनियाद पिछले वर्षों के दौरान खासे बदले हैं और गरीबी अधिकाधिक मात्रा में कुछ भौगोलिक प्रदेशों तथा विशिष्ट सामाजिक समूहों में केन्द्रित हुई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अरविंद पनागरिया असमानता व सुधारों के बारे में भारत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दो प्रकार की असमानताएं बहुत बढ़ी है और उन पर अधिक चौकस नजर रखने की जरूरत है। हालांकि ये क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं और ग्रामीण-शहरी असमानताएं भी हैं।" वेतन, सुविधाएं, अवसरों की प्राप्ति तथा क्षमता वर्धन की पहुंच सम्बंधी असमानताएं लगभग सभी सगठनों में दिखती हैं। हालांकि असमानता पिछले कुछ दशकों के दौरान बढ़ी है। उदारीकरण आने के बाद विशेष रूप से बढ़ी है। १८२० में सबसे धनवान व सबसे गरीब देशों के बीच आय का अंतर ३:१ था, १९५० में यह ३५:१ और १९९२ में ७२:१ हुआ। जो बात देशों के लिए सही है, वह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी सही है।

१९६० के मानव जाति के सबसे समृद्ध २० प्रतिशत लोग सबसे गरीब २० प्रतिशत लोगों के मुकाबले ३० गुना अधिक धन कमाते थे। २००० में यह असमानता दुगुनी हो गई। २००० में विश्व के सबसे धनवान १ प्रतिशत लोगों के पास इतनी आय थी, जितनी ५७ प्रतिशत गरीबों के पास थी। वैश्वीकरण के आगमन के कारण परिस्थिति अधिक खराब हुई है। गरीब विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे लोक-विरोधी विकास को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। मनुष्यों का व्यापार, बाल-मज़दूरी, सस्ती मज़दूरी, यौन प्रेरित पर्यटन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण तथा करोड़ों लोगों का विस्थापन व वंचितता आदि के बारे में वे खेद व्यक्त करते हैं। हेल्पमैन कहते हैं कि समाज के सबसे गरीब लोगों पर के वृद्धि का असर विवादास्पद है। कुछ लोगों की दलील के अनुसार क्या वृद्धि गरीबों के लिए हानिकारक है? या फिर कुछ लोगों की दलील है, उसके अनुसार वृद्धि ने सभी नौकाओं को तारा है? मैं यह कहना चाहूंगा कि वृद्धि ने अनेक नौकाओं को तारा है, परंतु सभी नौकाएं समान रूप से नहीं तरी हैं, कछ नौकाओं को इस प्रक्रिया के दौरान नुकसान हुआ है और कुछ डूब गई हैं। अतः समता (आवंटन) और समानता (सामाजिक न्याय) विकास के केन्द्र में हैं। समता तथा इससे सम्पत्ति व धरोहरों का आवंटन, गरीबी के साथ प्रगाढ़ सम्बंध रखते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि असमानता व गरीबी दोनों एक ही प्रकार की विभावनाएं हैं। कोई एक समुदाय गरीब हो सकता है, परंतु वह अन्य समुदायों की तुलना में कम असमान हो सकता है। दूसरी तरफ कोई एक समुदाय संसाधनों व सम्पत्ति के बारे में समृद्ध हो, परंतु यह भी संभव है कि वह अन्य समुदायों की तुलना में भारी असमानता रखता हो। उदाहरण के तौर पर आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य पंजाब और हरियाणा में महिला-पुरुष अनुपात अत्यंत असमान है।

आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास स्पष्ट बने बनने के उदाहरण देने की जरूरत है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद २००३ में ५६० अरब डॉलर था। आर्थिक वृद्धि की दर कुछ हद तक बदलती रही है, परंतु २००३-०४ में यह ८ प्रतिशत थी और समग्र दुनिया में यह दूसरे क्रम पर सबसे ज्यादा थी। प्रथम क्रम पर चीन की वृद्धि दर १० प्रतिशत थी। स्वतंत्रता के बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और इन दशकों के दौरान गरीबी की मात्रा घटी है। विकासशील देशों में १९९० के देशक में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि १.५ प्रतिशत थी, जो १९८० के दशक के मुकाबले तीन गुना अधिक थी। २००० के बाद विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ३.४ प्रतिशत हुई है। मानव विकास रिपोर्ट-२००५ कहती है कि यह उच्च आय वाले देशों के मुकाबले दुगनी है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) संचयित निर्देशक है और मानव कल्याण के तीन पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है:आय, शिक्षा व स्वास्थ्य। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से यदि हम विविध देशों को जांचें, तो लगता है कि विकासशील देश इन तीनों मामलों में निचले स्तर पर हैं। इन निर्देशकों के बीच का अंतर इन विकासशील देशों के विविध क्षेत्रों के बीच काफी अधिक है।

मैन एण्ड डेवलपमेंट में जुलियस न्यूरेरेरे कहते हैं कि "हकीकत यह है कि विकास का अर्थ होता है लोगों का विकास। सड़क, मकान, फसल के उत्पादन में वृद्धि और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि विकास नहीं है। ये तो विकास के मात्र साधन हैं। नया मार्ग मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ाता है और ऐसा तभी होता है, जब वह उस पर चलता है। स्कूलों के भवनों में हुई वृद्धि विकास तभी मानी जाएगी, जब उन भवनों का उपयोग लोगों के मन के विकास के लिए तथा

लोगों की समझ बढ़ाने में हो। गेहूं, मटर तथा मक्का के उत्पादन में अधिक विकास तभी कहलाएगा, जब वह लोगों को अधिक पोषण की तरफ ले जाए।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले दशकों के दौरान कई बातें बदल गई हैं। परंतु समष्टि के स्तर पर जो तुलनाएं की जाती हैं, वे कई बार गुमराह करने वाली होती हैं। अधिक खाद, सिंचाई की अधिक अच्छी पद्धतियां, ऊंची उपज देने वाला बीज, अधिक कार्यक्षम संसाधन, संग्रह की अधिक बेहतर सुविधाएँ, अधिक ऊंचे समर्थन मूल्य और प्राप्ति के भाव, ज़मीन के उपयोग में अधिक विविधीकरण - इन सबसे अलग-अलग किसानों को अलग-अलग मात्रा में फायदा हुआ है, परंतु अधिकांशः ये सभी लाभ बड़े और समृद्ध किसानों को ही मिले हैं और छोटे व सीमांत किसानों को नहीं मिले हैं।

भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। किसान अब खेती में स्वरोजगर पाने वाले नहीं रहे हैं। छोटे व सीमांत किसानों की यही हालत हुई है। इनमें से कुछ ने कृषि मज़दूरों की संख्या बढ़ाई है। अन्य शहरों में खुदरा मज़दूरी की तरफ मुड़े हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिलाकर गरीबी में कमी आई होगी, परंतु इसका असर असमान रहा है और आय की असमानता में वृद्धि हुई हो, ऐसा हो सकता है। भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण है और कुल उत्पादन में गरीब किसानों व कृषि मजदूरों का योगदान बढ़ाए बगैर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को हासिल करना संभव नहीं है।

भावी मार्ग

ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही हुआ है, परंतु सब कुछ अच्छा ही हुआ हो, ऐसा भी नही है। दक्षिण एशिया में जो पिछड़े थे, उनके लिए तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। ६० वर्ष के स्वतंत्रता काल में सब कुछ खराब ही नहीं हुआ है। वंचितता, भेदभाव के बीच भी आशा की किरण है। दक्षिण एशिया में नेपाल में जो लोकतंत्र का परिवर्तन आया और दलितों व आदिवासी जिस प्रकार अपना हक मांगने को तैयार हुए हैं, वह आशा की किरण है। परमाणु समझौते का प्रतिकार, भारत के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र के खिलाफ विरोध, दक्षिणपंथी धर्मजुनूनी कारकों के प्रति आवाज़ आदि दर्शाते हैं कि लोग जागृत हैं और वे जो जिंदगी जीते हैं तथा सहन करते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं। लोगों के आंदोलन और संगठनों ने कुछ स्थानों पर राह दिखाई है और दक्षिण एशिया में पिछड़े लोगों के लिए उन्होने आशा जगाई है। दक्षिण एशिया के देशों में सकारात्मक परिवर्तन की यह निशानी है। हमें एक नया दक्षिण एशिया चाहिए, जहां नागरिक अधिक गुंजायमान जीवन जी सकें तथा भुखमरी व वंचितता रहित जिंदगी का आनंद उठा सकें। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मानव सुरक्षा, और न्यायी शांति की जरूरत है। सैन्यकरण, पुलिस को अधिक न्यायिक अधिकार तथा सेना को प्राप्त अधिकार दीर्घावधि में काम के नहीं हैं। भारत सहित तमाम देशों को शस्त्रीकरण पर खर्च घटाना पड़ेगा और समग्र क्षेत्र को सैन्यरहित बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। संघर्ष तथा विकास प्रेरित विस्थापन देश के भीतर और बाहर होता है, यह दक्षिण एशिया की वास्तविकता है। इसके प्रति गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। नागरिक समाज, सरकारों और लाभ कमाने वाले संगठनों को इस ओर प्रतिभाव देने की आवश्यकता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन तथा खासकर विस्थापितों व निर्वासितों के अधिकारों का उल्लंघन रुकना चाहिए तथा इसके लिए ठोस नीतियां बनाने व स्थानीय स्तर पर परिवर्तन लाने की जरूरत है।

दक्षेश के लोगों के लिए सम्पूर्ण नागरिकता तथा सम्पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ जीवन ही एक मार्ग है और इसके लिए प्रयास करने चाहिए। संघर्षमुक्त भारत तथा दक्षिण एशिया कदाचित दूर का सपना है, परंतु हिंसारहित भारत और दक्षिण एशिया संभव है। यह संभव है, क्योंकि जो मानव कल्याण और मनुष्य की समृद्धि में मानते हैं, वो नए दक्षिण एशिया के लिए जरूर काम करेंगे। हम अहिंसा तथा न्याय आधारित शांति, विविध समुदायों व संस्कृतियों के प्रति आदर और सीखने व आदान-प्रदान की भावना द्वारा सामूहिक प्रयास करके नया दक्षिण एशिया हासिल कर सकेंगे। मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तो होंगे ही, परंतु इसमें हिंसा नहीं होगी, वर्चस्व और दमन का नामोनिशान भी नहीं होगा। ये सब सीमारहित होंगे, क्योंकि लोग ज्ञान, तकनीकी, वस्तुओं आदि सबके लाभ के लिए सबके विकास के लिए व सुख के लिए मुक्त रूप से प्रवाहित होंगे।

जलवायु में परिवर्तन के खिलाफ संघर्षः विभाजित विश्व में मानवीय एकता

१९९० से हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। २००७/२००८ की यह रिपोर्ट 'जलवायु में परिवर्तन के खिलाफ संघर्षः विभाजित विश्व में मानवीय एकता' नाम से जारी की गई है। इसके अलावा दक्षिण एशियन नेटवर्क फॉर सोशल एण्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट द्वारा 'क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया' के नाम से जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें से भी कुछ मुद्दों को इस लेख में **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा शामिल किया गया है।

प्रस्तावना

मानव विकास रिपोर्ट २००७/२००८ चार प्रकरणों में विभाजित हैः (१) २१वीं सदी में जलवायु में परिवर्तन। (२) जलवायु के प्रभाव असमान विश्व में जोखिम और असहायता। (३) जलवायु के परिवर्तन की भयावहता को टालनाः निवारण की रणनीति। (४) अनिवार्यता की स्वीकृतिः राष्ट्रीय कदम तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

यह रिपोर्ट कहती है कि जलवायु में हुए फेरबदल एक बड़ा संकट है और यह अभी भी टाला जा सकता है। दुनिया के पास एकाध दशक का समय है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हमारी पीढ़ी के मानव विकास की यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। जलवायु में परिवर्तन मनुष्य की स्वतंत्रता के खिलाफ जोखिम खड़ा करता है तथा चयनों को सीमित करता है।

जलवायु में परिवर्तन के परिणाम

आरंभिक चेतावनियां अब सही होती दिख रही हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण दुनिया के करोड़ों गरीबों पर विपरीत असर हो सकता है। ये ऐसे प्रभाव हैं जो बहुत ध्यान में नहीं आते। वित्तीय बाजारों और जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में भी ये दिखते नहीं हैं, परंतु अकाल, चक्रवात, बाढ़ और पर्यावरणीय तनाव के परिणामस्वरूप अधिक अच्छा जीवन जीने के गरीबों के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव तो होते ही हैं। दक्षिण एशिया में गरीबी दूर करने के सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों पर जलवायु के परिवर्तनों के गंभीर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहते।

२०१५ तक गरीबी में काफी कमी करने के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य २००० में तय किए गए थे। इसमें काफी कुछ हासिल भी हुआ है, परंतु ये लक्ष्य हासिल करने में जलवायु परिवर्तन बड़े अवरोध खड़े कर रहा हैं। यह आशंका है कि जलवायु में परिवर्तन से विकास की यह प्रक्रिया आगे बढ़ना बंद हो जाएगी और फिर शायद उल्टी चलने लगेगी। यह मात्र गरीबी में वृद्धि नहीं करेगी, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में भी हमें पीछे धकेलेगी। इसीसे दुनिया आज जलवायु में हो रहे परिवर्तन से निपटने की तैयारी कर रही है, जिसका असर मानव विकास की संभावनाओं पर पड़ेगा।

यदि हम इस विषय में विफल रहेंगे, तो दुनिया की आबादी के ४० प्रतिशत गरीब यानी करीब २६० करोड़ लोगों के लिए अच्छे भविष्य के अवसर कम हो जायेंगे। इससे देशों के भीतर असमानताएं बढ़ेंगी तथा वैश्वीकरण की अधिक समावेशी पद्धति विकसित करने पर दबाव बढ़ेगा, जिससे 'सहितों और रहितों' के बीच की खाई बढ़ेगी। आज की दुनिया में गरीब ही जलवायु में परिवर्तन के प्रभाव भुगत रहे हैं। कल तो समग्र मानव जाति को भोगने होंगे, क्योंकि ग्लोबल वॉर्मिंग (वैश्विक तापन) हो रही है।

पृथ्वी के पर्यावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है तथा इससे जलवायु सम्बंधी पूर्वानुमान तेजी से बदल रहे हैं। इससे आज की दुनिया के गरीबों और भावी पीढ़ियों के संदर्भ में बड़े खतरे उत्पन्न होते हैं और इससे भी तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, समता तथा मानवाधिकारों के संदर्भ में तमाम देशों को इस सम्बंध में निर्णय करने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के प्रबंध निदेशक एशिम

तालिका सं. १
आबादी और कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने की मात्रा (२००४)

देश	आबादी की प्रतिशतवार मात्रा	कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने की प्रतिशतवार मात्रा
यूरोपीय संघ	७.२	२०.०
अमरीका	४.५	२०.९
कनाडा	२.२	२०.०
चीन	२०.०	१७.३
भारत	१७.१	४.६

स्टेनर तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रशासक केमाल डर्विस इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहते हैं कि (१) व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे तथा नई महत्वाकांक्षी नीतियां बनानी होंगी। छोटे-छोटे कदमों से कुछ नहीं होगा। (२) अल्पावधि में इसके लिए अधिक खर्च करना होगा। दीर्घावधि में बड़े लाभ हो सकते हैं, लेकिन अभी तो बड़ा खर्च करना ही पड़ेगा।

पर्यावरणीय परस्पर-अवलम्बन

अन्य समस्याओं की अपेक्षा जलवायु में परिवर्तन से होने वाली समस्या अलग तरह की है। मानव जाति पर्यावरण की दृष्टि से परस्पर-अवलम्बी है। यह कोई अमूर्त विचार नहीं है। सभी देश और समस्त जनता एक ही पर्यावरण का उपयोग करती हैं और हमारे पास यह एक ही पर्यावरण है। आज हम ऐसे विश्व में जीते हैं, जो अनेक स्तर पर विभाजित है। सम्पत्ति व अवसरों के विषय में बड़ी खाइयां व्याप्त हैं। अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद संघर्ष का स्रोत है। इन सभी अंतरों के बावजूद जलवायु में हो रहे परिवर्तन हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे पास साझा पर्यावरण है।

जलवायु में परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरों के प्रभाव भी साझे हैं। यहां तीन बातें महत्वपूर्ण हैं:

१. जितना हम आलस करते रहेंगे, उतनी ही अधिकाधिक मुसीबतें खड़ी होंगी, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होते ही रहेंगे।
२. यह समस्या ऐसी है कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या और बढ़ेगी। इसका नुकसान सीमित है, परंतु व्यापक है। अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों के अनेक सवाल ऐसे हैं, जिनमें आलस्य से अधिक हानि पहुंचती नहीं है। यह समस्या ऐसी है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि वातावरण में होती रहेगी और वातावरण अधिकाधिक गर्म होता जाएगा।
३. इस समस्या का तीसरा पहलू है व्यापकता। कौनसा देश ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, उनके असर समान हैं। एक देश द्वारा प्रदूषक गैसें छोड़ी जाएं, तो दूसरे देश के लिए वे खतरा पैदा करेंगी ही। गरीबों के लिए खतरा पहले हो सकता है, परंतु अंततः तो धनवान और धनवान देश भी प्रभावित होंगे ही।

सिफारिशें

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

बहुपक्षीय ढांचा

१. औद्योगिक समाज खड़ा होने से पहले जलवायु का जो स्तर था, उससे २ अंश सेंटीग्रेड ऊंचा स्तर रखने पर सहमत होना।
२. २०३० तक वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा स्थिर करना। इसके लिए उस समय के जीडीपी के १.६ प्रतिशत खर्च होने का अनुमान है।
३. २०५० तक ग्रीनहाउस गैसें छोड़ने की मात्रा पचास प्रतिशत

तालिका सं. २
कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने की प्रति व्यक्ति मात्रा (२००४)

देश	कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने की प्रति व्यक्ति मात्रा (वार्षिक टन)
यूरोपीय संघ	८.१०
अमरीका	२०.६
कनाडा	२०.०
चीन	३.८
भारत	१.२

तालिका सं. ३
जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव

ऐसा कहा जाता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि गरीब, विकलांग, युवक और वृद्ध इससे अधिक असहायता अनुभव करते हैं। ये समूह ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित मात्रा में ही प्राप्त होती है। अतिरिक्त चिकित्सकीय खर्च बर्दाश्त करने लायक उनकी आय भी नहीं होती। परिणामतः जलवायु परिवर्तन से उनके स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, वे उनकी स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं को बढ़ाएंगे।

विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव अनेक प्रकार के हो सकते हैं। गर्मी से जुड़ी मृत्यु, जल जन्य रोग, कीटाणु जन्य रोग, जलवायु में हो रहे आत्यंतिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मृत्यु व अन्न तथा जल की असुरक्षा के प्रभाव आदि मुसीबतें उत्पन्न हो सकती हैं।

जलवायु के परिवर्तन के अधिक विपरीत प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं। भारत में हुए अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि पिछले एक दशक के दौरान लू और शीत लहर के परिणामस्वरूप पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक मृत्यु हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति भी अधिक बड़े खतरे पैदा होने की आशंका है। अतः स्वास्थ्य सुविधाओं सम्बंधी आयोजन पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इसके अलावा चिकित्सकों को खासकर असहाय लोगों की बढ़ती मांग से निपटने के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। एक अनुमान है कि गर्मी के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु की दर बढ़ सकती है। इसका कारण यह है कि गरीबों, वृद्धों, दिहाड़ियों और कृषि मजदूरों को गर्मी से जुड़े रोग अधिक मात्रा में होने की आशंका रहती है।

तक कम करना और उसे १९९० के स्तर से कम होना चाहिए।

४. विकसित देश ग्रीनहाउस गैसें छोड़ने की मात्रा २०२० तक २० से ३० प्रतिशत घटाएं और २०५० तक इसे ८० प्रतिशत तक घटाएं।

५. गरीब देशों में ग्रीनहाउस गैसें अधिक छोड़ने वाले व देश २०२० तक ही अधिक मात्रा में गैसें छोड़ सकते हैं परंतु वे २०५० तक २० प्रतिशत घटाएं।

निवारक कदम

१. सभी धनवान देशों में राष्ट्रीय कार्बन बजट बनाया जाए और १९९० के स्तर से कार्बन डाईऑक्साइड घटाने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।

२. कर और कैप एण्ड ट्रेड प्रोग्राम द्वारा कार्बन की कीमत तय की जाए।

३. २०१० में कार्बन कर लगाया जाए। वह प्रति टन १० से २० अमरीकी डॉलर हो तथा उसके बाद बढ़ते-बढ़ते ६० से १०० डॉलर तक हो जाए।

४. कैप एण्ड ट्रेड कार्यक्रम इस तरह चले कि २०२० तक कार्बन डाईऑक्साइड हवा में छोड़ने की मात्रा २० से ३० प्रतिशत घटे तथा २०१५ तक इसमें दी जाने वाली रियायत की ९० से १०० प्रतिशत की नीलामी हो।

५. कार्बन टैक्स की आय का उपयोग कर में सुधार के लिए हो। पूंजीनिवेश तथा श्रम पर कर घटें तथा कम कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने वाली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए।

६. यूरोपीय संघ ने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया है। इसमें बहुत सारे नियंत्रण हैं जिन्हें हटाया जाए, उसमें नीलामी बढ़ाई जाए तथा निजी क्षेत्र को होने वाले अचानक लाभों की सीमा तय की जाए।

७. नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सानुकूल वातावरण तैयार किया जाए। इसके लिए चुंगी और बाजार नियमन का रास्ता अपनाया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा को २०२० तक २० प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा जाए।

८. मकानों और साधनों के लिए नियमनकारी मानदंड अपना कर ऊर्जा की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए।

९. यूरोपीय संघ तथा अमेरिका में परिवहन क्षेत्र द्वारा जो कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ी जाती है, उसकी मात्रा घटाई जाए। यूरोपीय संघ को उसके मुताबिक २०१२ तक प्रति किलोमीटर १२० कि.ग्रा. और २०२० तक ८० कि.ग्रा. करना है। अमरीका में कॉर्पोरेट एवरेज फ्युअल इकोनॉमी स्टैण्डर्ड्स अधिक कड़े बनाए जाएं।

१०. कार्बन कैप्चर एण्ड स्टोरेज पर ध्यान केन्द्रित करने वाली

टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए वित्तीय तथा नियमनकारी सहायता दी जाए। अमरीका २०१५ तक ऐसे ३० निदर्शन प्लांट तैयार करे तथा यूरोपीय संघ भी ऐसे ही लक्ष्य रखे।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

१. आधुनिक ऊर्जा सेवाओं की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और बायोमास पर निर्भरता घटाना। हाल में २५० करोड़ लोग ऊर्जा के लिए बायोमास पर निर्भर हैं।

२. विकासशील देशों द्वारा हवा में कार्बन छोड़ने की मात्रा घटाना। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करना। टेक्नोलॉजी की तब्दीली तथा वित्तीय सहायता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

३. २५ से ५० अरब डॉलर के साथ क्लाईमेट चेंज मिटिगेशन फेसिलिटी स्थापित की जाए। विकासशील देशों में कम कार्बन छोड़ने वाली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए ग्रांट, राहत दर पर सहायता और निवेश में जोखिम के खिलाफ गारंटी को प्राथमिकता मिले। प्रत्येक देश में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊर्जा सुधार कार्यक्रम अपनाए जाएं।

४. 'क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म' द्वारा क्योटो प्रोटोकोल के तहत जो अन्य प्रावधान किए गए हों, उनके अनुसार प्रत्येक परियोजना के आधार पर 'कार्बन वित्त' की व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक देश की राष्ट्रीय रणनीति उसे समर्थन दे और कार्बन प्रदूषण कम करने वाली टेक्नोलॉजी अपनाने को प्रोत्साहन दिया जाए।

५. कोयले के बारे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए तथा इसमें कार्बन की कमी को बढ़ावा दिया जाए।

६. वनों की सुरक्षा व निरंतर प्रबंध के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए।

७. कार्बन कमी के लिए वित्तीय व्यवस्था का विस्तार औद्योगिक क्षेत्र के अलावा भी किया जाए और गरीबों को लाभ दिलाने वाली व्यवस्थाएं अपनाई जाएं।

गरीबी में कमी

१. यह स्वीकारना है कि जलवायु में परिवर्तन लाने के लिए संसार प्रतिबद्ध है, यह स्वीकारना और सख्त से सख्त कदम उठाने पर भी २०३० के दशक के मध्य तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला और परिस्थिति सुधरे, तो भी २०५० तक दुनिया भर में तापमान बढ़ते ही जाने वाला है।

२. विकासशील देशों की जलवायु में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम मापने और राष्ट्रीय आयोजन में उसे ध्यान में

तालिका सं. ४
२१वीं सदी की चुनौती

वैश्विक तापमान में वृद्धि हो ही रही है। औद्योगिक युग शुरू हुआ, तब से दुनिया भर में औसत तापमान में ०.७ अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। अधिकाधिक वैज्ञानिक प्रमाण दर्शा रहे हैं कि पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है।

जलवायु में होने वाला परिवर्तन कितना सुरक्षित और कितना खतरनाक है, इसकी कोई विभाजक नहीं खींची जा सकती। यदि, जिस प्रकार की परिस्थिति में मानव जाति अभी जी रही है, उसी प्रकार की परिस्थिति चालू रहे, तो २ अंश सेंटीग्रेड से भी अधिक मात्रा में तापमान बढ़ने की आशंका है। यदि ऐसा न होने देना हो, तो ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा घटानी पड़ेगी। यदि कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा ५५० पीपीएम हो, तो २ अंश सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं बढ़ने की संभावनाएं ८० प्रतिशत तक रहती हैं। लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे परिवर्तन करने के लिए जान-बूझ कर तभी तैयार होंगे, जब उन्हें ऐसे गंभीर परिवर्तनों की जानकारी होगी। इस प्रकार देखें, तो २१वीं सदी में मानव जाति के खिलाफ बहुत बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। यदि कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा ७५० पीपीएम से भी बढ़ जाए, तो तापमान में औसत ५ अंश सेंटीग्रेड जितनी वृद्धि हो सकती है।

इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप मानव विकास पर बहुत बड़े पैमाने पर विपरीत असर होगा, क्योंकि जीवन निर्वाह पर विपरीत असर होगा और बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। दुनिया के १५ प्रतिशत आबादी वाले देश लगभग ५० प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, जिससे उसकी मात्रा घटाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से उनकी है।

तालिका सं. ५
विभिन्न देशों द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने की मात्रा

देश	कुल मी. टन		वृद्धि दर	विश्व में योगदान (प्रतिशत)		प्रति व्यक्ति टन	
	१९९०	२००४	१९९०-२००४	१९९०	२००४	१९९०	२००४
अमरीका	४८१८	६०४६	२५	२१.२	२०.९	१९.३	२०.६
चीन	२३९९	५००७	१०९	१०.६	१७.३	२.१	३.८
रूस	१९८४	१५२४	-२३	८.७	५.३	१३.४	१०.६
भारत	६८२	१३४२	९७	३.०	४.६	०.८	१.२
जापान	१०७१	१२५७	१७	४.७	४.३	८.७	९.९
जर्मनी	९८०	८०८	-१८	४.३	२.८	१२.३	९.८
कनाडा	४१६	६३९	५४	१.८	२.२	१५.०	२०.०
ब्रिटेन	५७९	५८७	१	२.६	२.२	१०.०	९.८
इटली	३९०	४५०	१५	१.७	१.६	६.९	७.८
दक्षिण अफ्रीका	३३२	४३७	३२	१.५	१.५	९.१	९.८
इंडोनेशिया	२१४	३७८	७७	०.९	१.३	१.२	१.७
फ्रांस	३६४	३७३	३	१.६	१.३	६.४	६.०
ब्राजील	२१०	३३२	५८	०.९	१.१	१.४	१.८
कजाकिस्तान	२५९	२००	-२३	१.१	०.७	१५.७	१३.३
यूक्रेन	६००	३३०	-४५	२.६	१.१	११.५	७.०
पोलैण्ड	३४८	३०७	-१२	१.५	१.१	९.१	८.०
ईरान	२१८	४३३	९९	१.०	१.५	४.०	६.४
सउदी अरब	२५५	३०८	२१	१.१	१.१	१५.९	१३.६
तुर्की	१४६	२२६	५५	०.६	०.८	२.६	३.२

रख कर करने की क्षमता बढ़ाना।

३. समुद्र तटीय क्षेत्रों में मौसम देखरेख क्षमता बढ़ाने के लिए जी-८ देशों ने जो वचन दिए हैं, उनका पालन किया जाए। इसके लिए उनके साथ भागीदारी की जाए।

४. सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में निवेश कर जलवायु परिवर्तनों का सामना करने की असहाय लोगों की क्षमता बढ़ाना और उन्हें सक्षम बनाना।

५. गरीबी घटाने की रणनीतियों में उपरोक्त कार्यक्रमों को शामिल करना तथा सम्पत्ति, महिला-पुरुष भेदभाव, स्थान और बाजार के कारण उत्पन्न असमानताएं दूर करने पर ध्यान केन्द्रित करना।

६. २०१६ तक धनवान देशों से गरीब देशों में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यूनतम ८६ अरब डॉलर की तब्दीली करना और यह ध्यान रखना है कि मानव विकास में पीछे नहीं हटे।

७. जलवायु के साथ सम्बंधित मानवतावादी संकटों का प्रतिभाव देने के लिए बहुपक्षीय प्रावधान बढ़ाना और आपदा के बाद के प्रतिकार की क्षमता बढ़ाना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की

तालिका सं. ६
खतरा टालने में भारी खर्च होगा

यदि पूरी दुनिया को एक ही देश माना जाए, तो २०५० तक ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा १९९० के स्तर से आधी करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि २१वीं के अंत तक इसमें सतत कमी करते जाएं, तो गंभीर खतरा टाला जा सकता है, लेकिन दुनिया एक देश नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि धनवान देशों को ग्रीन हाउस गैसें छोड़ने की मात्रा ८० प्रतिशत तक घटानी पड़गी। उन्हें २०२० तक इसके लिए ३० प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी। विकासशील देशों का ग्रीनहाउस गैसें छोड़ने की मात्रा २०२० तक सबसे अधिक होगा। उन्हे २०५० तक २० प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी। अभी से लेकर २०३० तक यदि ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा घटाने के लिए प्रयत्न किए जाएं, तो हर वर्ष जीडीपी का १.६ प्रतिशत खर्च होगा। यह एक बड़ा निवेश है, परंतु यह दुनिया में होने वाले सैन्य खर्च के २.३३ प्रतिशत से भी कम खर्च है अर्थात् यदि उसके लिए तैयारी दिखाई जाए, तो यह खर्च किया जा सकता है। कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि यह खर्च बढ़ कर जीडीपी का ५ से २० प्रतिशत तक हो सकता है।

१९९० के बाद कार्बन डाईऑक्साइड हवा में छोड़ने की मात्रा बहुत बढ़ी है। क्योटो प्रॉटोकोल नामक संधि के अनुसार कई देशों ने यह मात्रा घटाने पर सहमति जताई है। सभी विकसित देशो ने इस संधि के लक्ष्य हासिल करने का निश्चय किया है। इन लक्ष्यों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा घटाने की शुरूआत नहीं की गई है। यदि उन्हें ये शुरूआत की होती, तो औसतन पांच प्रतिशत तक कमी आ सकती थी। गरीब देशों ने ग्रीनहाउस गैसों मात्रा घटाने पर कोई सहमति नहीं जताई है। यदि आगामी १५ वर्ष की अवधि के दौरान गत १५ वर्षों के दौरान जितनी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी गई हैं, उतनी मात्रा में छोड़ी जाएं, तो जलवायु में खतरनाक परिवर्तन को टाला नहीं जा सकता।

हाल में जो रुख दिखता है और जो नीतियां दुनिया भर के देश अपनाते हैं, उनसे तो यही लगता है कि २०३० तक कार्बन डाईऑक्साइड हवा में छोड़ने की मात्रा ऊर्जा के उपयोग के कारण २००५ के स्तर से ५० प्रतिशत जितनी बढ़ेगी। ऊर्जा की मांग से निपटने के लिए २००४ से २०३० तक की अवधि के दौरान लगभग २० हजार अरब डॉलर खर्च किए जाने का अनुमान है। यदि यह खर्च हो और ऊर्जा का उपभोग बढ़े, तो ग्रीनहाउस गैसें हवा में छोड़ने की मात्रा बढ़ना स्वाभाविक है। मुख्यतः यह वृद्धि ताप विद्युत के परिणामस्वरूप होगी।

व्यवस्था का उपयोग करना। विश्व बैंक द्वारा इस सम्बंध में स्थापित की गई व्यवस्था का भी उपयोग किया जा सकता है।

८. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए और कार्बन में कमी सिद्ध करने के लिए विकासोन्मुख सहायता के अलावा वित्तीय व्यवस्थाओं का भी विचार करना चाहिए। इसके लिए कार्बन कर, हवाई परिवहन कर आदि का उपयोग किया जा सकता है।

९. हाल में सीमित मात्रा में जो बहुपक्षीय वित्तीय व्यवस्था स्थापित हुई है, उसका ढांचा सुधारना और प्रोजेक्ट की बजाय कार्यक्रम आधारित वित्तीय व्यवस्था स्थापित करना। संक्रमण का खर्च ऊंचा न जाए, यह भी देखना।

१०. असहायता घटाने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र तय करने और वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार बढ़ाने के लिए प्रयास करना। खास कर गरीब देशों में वास्तविक बजट के साथ गरीबी घटाने की रणनीति वास्तविक बजट के साथ तैयार करना।

भारत में कृषि व खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव

ऐसा बताया जाता है कि वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण फसल की उत्पादकता बड़े पैमाने पर घटेगी और खासकर गैर-सिंचित जमीन में यह घटेगी। भारत में जीवन निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यदि तापमान में वृद्धि हो, तो वर्षा पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशीय कृषि वाले परिवारों में भुखमरी की आशंका बढ़ने की

शेष पृष्ठ 21 पर

गतिविधियाँ

डीएससी को 'इंडिया पावर पुरस्कार' प्रदान

डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी) को सहभागी सिंचाई प्रबंध, जलस्राव प्रबंध के लिए २००८ का प्रतिष्ठित 'इंडिया पावर पुरस्कार' प्रदान किया गया है। डीएससी की विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि राज्य के किसानों का सम्मान है। देश भर से प्राप्त ५२ नामांकनों में से इस पुरस्कार के लिए डीएससी का चयन किया गया। काउंसिल ऑफ पावर युटिलिटीज (सीपीयू) तथा केवी कॉन्फ्रेंसिस प्रा. लि. द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार ऐसे संगठनों और व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने पानी व जल क्षेत्र में योगदान किया हो। ३ नवम्बर, २००८ को दिल्ली में विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, भारत सरकार के विद्युत सचिव तथा भारत सरकार के जल संसाधन सचिव द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डीएससी के अलावा विविध राज्यों के विद्युत बोर्ड, गुजरात सरकार की ज्योतिग्राम योजना तथा नंदी फाउण्डेशन को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डीएससी के प्रशासनिक निदेशक सचिन ओझा ने कहा कि सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों के प्राकृतिक संसाधन विकास सम्बंधी संयुक्त प्रयासों का यह सम्मान है। उत्तर गुजरात में सहभागी सिंचाई की परियोजनाओं को डीएससी द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया, वह मात्र गुजरात राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र देश के लिए एक मिसाल है। डीएससी के संस्थापक अध्यक्ष अनिलभाई शाह ने जल, ज़मीन व कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास के प्रयासों के लिए प्रेरणा दी। आकाशीय खेती पर निर्भर असंख्यक किसानों के लिए जलस्राव प्रबंध कार्यक्रम ने आशाएं पैदा की। ये कृषि विस्तार कार्य के लिए प्रभावी संसाधन साबित हुए हैं। डीएससी को उड़ीसा व मध्य प्रदेश जैसे राज्यो में ये कार्य करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया है।

उत्तर गुजरात में धरोई क्षेत्र में जो कार्य किए गए, उनमें मात्र जल वितरण पर ही नहीं, बल्कि जल प्रबंध, जल का कार्यक्षम उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान दिया गया। साबरकांठा के अनेक किसान डीएससी के इस प्रकार के प्रयासों के कारण एक की बजाए तीन फसलें लेने लगे हैं। ज़मीन के परीक्षण व संशोधित बीज के चलते वे खर्च में कमी और उत्पादन में वृद्धि कर सके हैं। इसी क्षेत्र मे सहकारी मंडलियों के कारण सहभागी सिंचाई प्रबंध संभव हुआ है। डीएससी का 'सज्जतानो संघ-लावे खेतीमां रंग' नामक रेडियो कार्यक्रम विकासोन्मुख प्रत्यायन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

दलित गरिमा यात्रा

'दलित अधिकार अभियान' द्वारा दलितों को मानवाधिकारों के मुद्दे पर संगठित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके अंतर्गत ३-१९ नवम्बर, २००८ के दौरान 'दलित गरिमा यात्रा' का आयोजन किया गया। यह यात्रा ८८ गांवों में गई थी। यह यात्रा जोधपुर के मंडोर, भोपालगढ़, ओसिया, शेरगढ़ तथा बालेसर, बाड़मेर के बलोतरा, सिवाना और सिणधरी तथा जैसलमेर के पोखरण तालुका के गांवों में गई थी। इस यात्रा में महिलाओं के अधिकारों, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार तथा भेदभाव व दलितों और महिलाओं सम्बंधी कानून के बारे में सामुदायिक जागृति के प्रयास किए गए थे। 'दलित अधिकार अभियान' द्वारा पिछले कुछ समय से महिलाओं के जमीन के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो कार्य किया गया है, उसके बारे में इस यात्रा के दौरान समझ बनाने के प्रयास किए गए। इस यात्रा का आयोजन तीन भागों में किया गया।

लोक शिक्षा के लिए स्थानीय संचार बल, स्थानीय दलित नेतृत्व और सरल दलित साहित्य का उपयोग किया गया। औपचारिक कार्यक्रम के बाद स्थानीय नेतृत्व के साथ गांव की विशेष समस्याओं पर सघन चर्चा होगी और उसमें कोई कार्यलक्ष्यी योजना बनाने का प्रयास किया जाता। समग्र यात्रा के दौरान भोजन व निवास की व्यवस्था स्थानीय संगठन द्वारा की जाती थी।

समग्र यात्रा के दौरान लगभग सभी स्थलों पर महिलाओं की सहभागिता अच्छी रही। कुछ स्थानों पर गैर-दलित समुदाय भी यात्रा में सहभागी हुआ, यह उसकी विशेषता थी। अनेक गांवों में 'दलित अधिकार अभियान' की पहचान दलितों पर अन्याय का सामना करने वाले संगठन के रूप में थी। इसकी बजाए अब वह न्याय आधारित संतुलनात्मक संगठन के रूप में पहचान बना सका था। पहली बार 'दलित अधिकार अभियान' द्वारा महिलाओं के ज़मीन के अधिकार के लिए नए सिरे से सोचने की बात सार्वजनिक रूप से की गई तथा परम्परागत विचार त्याग ने का आह्वान किया गया। इस मुद्दे पर समुदाय की प्रतिक्रिया मिश्रित थी, परंतु यात्रा के उपलक्ष्य में पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। इस यात्रा के माध्यम से लगभग १५,००० दलितों तक 'दलित अधिकार अभियान' का संदेश पहुंचाया जा सका। दलितों की जमीनों पर अतिक्रमण, सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव तथा भ्रष्टाचार, दलितों व महिलाओं पर अत्याचार आदि जैसे मुद्दों पर ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक चर्चा हुई। इन मुद्दों पर अभियान के कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के प्रति लोगों की विशेष रुचि दिखाई दी। योजना के तहत प्राप्त रोज़गार व वेतन सम्बंधी समस्याओं पर काफी चर्चा भी हुई। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याओं पर भी सार्वजनिक चर्चा को बल मिला।

बाढ़ में फंसे लोगों को मछुआरे ने बचाया

कच्छ का छोटा रण कच्छ की खाड़ी से ईशान क्षेत्र में लगभग ५१०० व.कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। यह खारा तटीय क्षेत्र है। सितम्बर-२००८ में इस क्षेत्र में भारी बाढ़ आई। समग्र क्षेत्र १.७ मीटर ऊंचाई वाला सपाट क्षेत्र है। भांभण, कंकावटी, गोधरा तथा उमाई जैसी नदियां दक्षिण से और पूर्व से सरस्वती तथा रूपेण व ईशान क्षेत्र से बनास नदी इस छोटे रण में प्रवेश करती हैं। लगभग ४०,००० नमक मजदूर कच्छ के रण में काम करते हैं। समग्र रण के क्षेत्र में कोई निर्माण या पेड़ भी नहीं है, जिस पर लोग चढ़ सकें और बाढ़ आए, तो बच सकें। खाराघोड़ा क्षेत्र में जब सितम्बर-२००८ में बाढ़ आई, तो इस क्षेत्र पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इसी अंचल के लखतर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। खाराघोड़ा गांव में रण के तट पर रहीमभाई नामक एक मछुआरा रहता है। उनके पास दो नावें हैं। इस बाढ़ में इन दोनों नावों को नुकसान हुआ। उन्होंने और उनके भतीजे ने अपनी पुरानी नाव की मरम्मत की तथा बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया। सतत दो दिन तक वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में २५ कि.मी. तक गए और उन्होंने बच्चों, बूढ़ों तथा विकलांगों सहित ३७ लोगों को बचाया। विपत्ति का ज़ोखिम घटाने सम्बंधी समुदाय के इन प्रयासों को पुनः मजबूत करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार की आपदा निवराण प्रक्रियाओं में उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके, तो यह अच्छी बात होगी। भयानक बाढ़ के बावजूद मात्र एक व्यक्ति की जान-हानि हुई और तमाम नमक मजदूरों को बचा लिया गया। हालांकि उनका घरेलू सामान बाढ़ में बह गया। सरकार ने मात्र १५०० रुपए की नकद सहायता की घोषणा की, परंतु वह पर्याप्त नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से दिखता है। यदि अग्रिम चेतावनी की व्यवस्था की गई होती, तो इस नुकसान को टाला जा सकता था। आपदा के प्रतिकार की तैयारी और आपदा के निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु वे पर्याप्त नहीं हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस क्षेत्र में आपदाएं सर्वसामान्य बात हो गई है। अतः सरकार और मानवतावादी संस्थाओं की आपदा का जोखिम घटाने की प्रक्रियाओं में ऐसे प्रयासों को विशेष महत्व दिया जाए, तो समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित हो सकता है।

संदर्भ सामग्री

हिंसा मुक्त समाज तरफ

घरेलू हिंसा के खिलाफ काम कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा लम्बा संघर्ष करने के बाद अक्टूबर-२००५ में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम संसद में पारित किया गया। यह कानून घरेलू हिंसा को अपराध मानता है और उसे अपने पिता या पति के घर में सुरक्षा की गारंटी देता है। इस कानून का अमल उचित रूप से हो, इसके लिए १७-१८ मई, २००७ के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पुस्तक इस कार्यशाला की रिपोर्ट है। इस कार्यशाला में गुजरात के २५ जिलों से सुरक्षा अधिकारी और दहेज प्रतिबंध अधिकारी हाजिर रहे। पुस्तक में दोनों दिनों के दौरान विशेषज्ञों द्वारा इस कानून को लेकर, उसके अमल तथा समाज में व्याप्त परिस्थितियों को लेकर प्रस्तुतियां की गयी तथा साथ ही सरकारी अधिकारियों की कानून के अमल में भूमिका के बारे में भी प्रस्तुति की गयी।

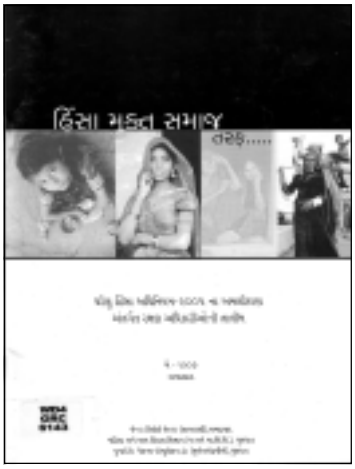

प्राप्ति स्थानः जेंडर रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक नं. १, पोलीटेक्निक कैम्पस, आंबावाडी, अहमदाबाद - ३८० ०१५. फोन : ०७९-६५१२८३९७. ई-मेलः info@ grcgujarat.org

अण्डरस्टैण्डिंग वल्नरेबिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन

दृश्य संसाधनों का यह एक अंग्रेजी पैनल है। यह तीन भागों में विभाजित हैः (१) संकट और विपत्तियों की समझ। (२) विपत्ति के जोखिम में कमी तथा असहायता। (३) विपत्ति निवारण के लिए प्रतिकार क्षमता का निर्माण। अधिकांशतः निःसहाय समूहों पर जोखिमों के प्रभाव अधिक होते हैं, क्योंकि वे उनके प्रभाव दूर करने में अक्षम होते हैं। इसका कारण यह भी है कि जान-माल के नुकसान के कारण जो हानि होती है, उसकी भरपाई करने के लिए उनके पास वैकल्पिक संसाधन कम होते हैं। निःसहायता के विचार को समझना, निःसहाय लोगों को पहचानना, उनकी जरूरतों, अधिकारों पर ध्यान देना और निःसहायता घटाने के लिए सामुदायिक प्रतिकार क्षमता का निर्माण करना आदि बातें ज़ोखिम घटाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दृश्य संसाधनों का उपयोग आपदा जोखिम घटाने से संबंधित मामलों को समझने में किया जा सकता है। यह ऐसी समझ पर आधारित है कि सामुदायिक स्तर पर उनका उपयोग न हो, तो तमाम ढांचे और विचार अमूर्त बन जाया करते हैं। ऐसा नहीं है कि विकासोन्मुख कार्यकर्ता इन दृश्य संसाधनों का उपयोग करने मात्र से इन विचारों से परिचित हो जाएंगे, परंतु वे स्वयं समुदाय स्तर पर इस सम्बंध में चर्चा कर सकेंगे और आपदा निवारण के लिये समर्थक व्यवस्था का निर्माण करने के तमाम प्रयासों में उनका समन्वय भी कर सकेंगे।

प्रत्येक पैनल में पांच से छह चित्र दिए गए हैं। आपदा जोखिम घटाने के विचारों को समझने में वह उपयोगी हैं। इस प्रत्येक पैनल का आयोजन इस तरह किया गया है कि उनका उपयोग एक साथ भी हो सकता है और अलग-अलग भी। इसके अलावा हर पैनल स्थायी तौर पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तमाम पैनलों की सॉफ्ट फाइल उनके साथ दी गई डीवीडी में है। इसमें दो फोल्डर हैं। एक में पीडीएफ फॉर्मेट में हाई रिसॉल्युशन फाइल है, जो तुरंत छापी जा सकती है। दूसरा फोल्डर मात्र पैनल में उपयुक्त चित्र दर्शाता है। इसका उपयोग पावर प्वॉइंट

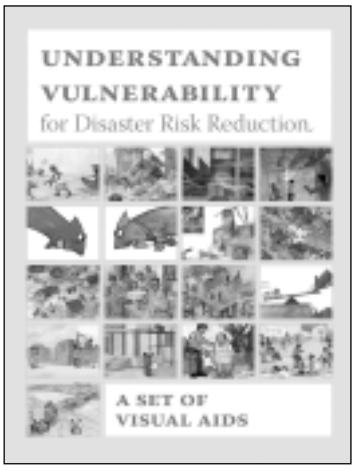

प्रेजेंटेशन के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान या बैठकों के दौरान किया जा सकता है। यह जेपीईजी फॉर्मेट में स्क्रीन रिसॉल्युशन फाइल के रूप में दिया गया है। प्राप्ति स्थानः उन्नति

घरेलू हिंसा अधिनियम-२००५

इस पुस्तिका में घरेलू हिंसा अधिनियम-२००५ के बारे में सरल भाषा में समझाया गया है। महिलाओं, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह पुस्तिका उपयोगी है। कानून का अमल बेहतर ढंग से करने में भी पुस्तिका उपयोगी होगी। इसमें निम्न मुद्दों का समावेश किया गया हैः घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है, घरेलू हिंसा सम्बंधी कानून की जरूरत क्यों पड़ी, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, प्रभावी अमल के लिए जरूरी कदम, राज्य सरकार की भूमिका, मजिस्ट्रेट की भूमिका, रक्षा अधिकारी के दायित्व, सेवा देने वालों की योग्यता तथा कार्य, स्वास्थ्य सेवा देने वाली अधिकृत एजेंसियों के दायित्व, आश्रय गृहों के दायित्व, सलाहकार की योग्यता और अनुभव।

इस पुस्तिका में विभिन्न शब्दोंः पीड़ित व्यक्ति, रक्षा अधिकारी, सेवा देने वाला, मजिस्ट्रेट, प्रतिवादी, बालक, सलाहकार, कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि की व्याख्या भी दी गई है। गुजरात सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का विवरण भी पुस्तिका में दिया गया है। जिला समाज सुरक्षा अधिकारियों के पते और फोन नंबर का विवरण भी पुस्तिका में अंत में किया गया।

प्राप्ति स्थानः जेंडर रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक नं. १, सरकारी पोलीटेक्निक परिसर, आंबावाडी, अहमदाबाद-३८० ०१५. फोन : ०७९-६५१२८३९७. ई-मेलः info@ grcgujarat.org

न्याय झंखना

इस पुस्तिका में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को चुनौती देने वाली महिला न्याय समितियों के संघर्ष तथा सफलता की गाथा का वर्णन किया गया है। महिला सशक्तिकरण तथा अधिकारों के लिए जागरूकता से उत्पन्न महिला न्याय समिति एक अविधिक मंच है। यह महिला विरोधी घरेलू हिंसा को सक्षम ढंग से चुनौती देकर एक योग्य वैकल्पिक व्यवस्था के स्तर पर सामने आया है। महिला न्याय समितियां, महिला आयोग तथा नारी अदालत आदि के नाम से पहचानी जाती हैं। इस पुस्तिका में 'स्वाति', 'सावाराज', 'शिक्षा और समाज कल्याण केन्द्र', 'उत्थान' और 'नवज्योत महिला विकास संगठन' के कार्यक्षेत्र में कार्यरत न्याय समितियों के बारे में लेख शामिल किए गए हैं। ये लेख उपरोक्त संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने लिखे हैं। चरखा द्वारा उनका सम्पादन किया गया है।

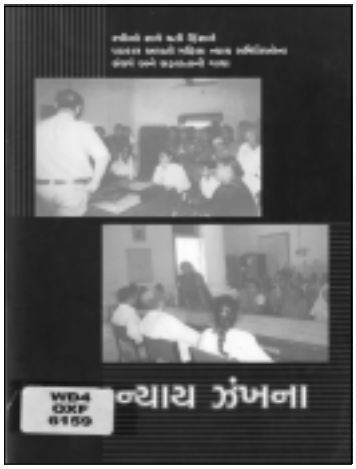

इसमें नीचे दर्शाए ११ उदाहरण दिए गए हैं: (१) दबंग जेठ को समझा कर विधवा को विरासती जमीन दिलाई। (२) न्याय समिति ने पत्नी को जमीन वापस दिलाई। (३) विधवा बिंदूबेन का पुनर्विवाह करवा कर उनका जीवन पटरी पर लौटाया। (४) शांतुबेन के घर का क्लेश दूर किया। (५) संघर्ष के साथ सत्य की खोज की। (६) प्रज्ञाचक्षु आशाबेन के घर संसार को बसाने वाली न्याय समिति। (७) चम्पाबेन को अत्याचार व दुःख से मुक्ति दिलाई। (८) वर्षाबेन को नया जीवन जीने की हिम्मत और जोश मिला। (९) दो परिवारों को टूटने से बचाया। (१०) मंजुलाबेन को मारपीट से मुक्ति दिलाई। (११) महिला धन और अधिकार के रुपए दिला कर विशाखाबेन को क्लेश से मुक्त कराया।

महिला न्याय समितियां महिला विरोधी हिंसा को स्त्रीलक्ष्यी दृष्टिकोण से चुनौती देने वाले इस सक्षम मंच की समझ वाला लेख दिया गया है और अन्य कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यह लेख 'स्वाति' संस्था के अनुभवों पर आधारित है।

प्राप्ति स्थानः सौराष्ट्र-कच्छ नेटवर्क ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन,

जीआईडीसी एस्टेट, प्लॉट नं. ६५-६७, सुरेन्द्रनगर रोड, देशळ भगत छापरा के पास, ध्रांगध्रा-३६३ १३०. फोनः ०२७५४-२८१३३८.

गुजरातना विचरता-विमुक्त समुदायो

गुजरात के विभिन्न घुमंतू और विमुक्त समुदायों की पहचान देने वाला यह ग्रंथ उनकी विविध समस्याओं की ओर ध्यान खींचता है। समग्र पुस्तक में ऐसे ३४ समुदायों का विवरण दिया गया है। इसमें बजाणिया, नट, मारवाड़ी नट, वादी-गारुड़ी, मदारी, बहुरूपी-भांड, भवैया, तुरी, चारण-गढ़वी, शिकलीगर-सराणिया, गाड़िया-लुहार, कांगसिया, घंटिया-सलाटघेरा, चामठा, रावळ, ओड, मारवाड़ा, देवीपूजक, वांसफोडा, थोरी, भोपा, गरो, बावा-वैरागी-नाथबावा, जोगी, पारधी, डफेर, देवीपूजक, चुंवाळिया कोळी, पारकरा कोळी, वाघेर, मियाणा, संधि-ठेबा-हिंगोरा, छारा, मे तथा बाफण आदि जातियों का समावेश होता है। लगातार दो वर्ष के परिभ्रमण तथा संवाद के स्वरूप में यह रिपोर्ट तैयार की गई है। यह गुजरात के घुमंतू और विमुक्त समुदाय की संक्षिप्त पहचान देती है। पुस्तक में अंत में गुजरात राज्य के घुमंतू जातियों की सूची दी गई है। इसमें २८ समुदायों का समावेश किया गया है। गुजरात राज्य में विमुक्त जातियों की सूची में १२ समुदायों का समावेश किया गया है। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में से १२ अति पिछड़ी जातियों की सूची भी दी गई है। घुमंतू समुदाय में से चार अति पिछड़ी जातियों की भी सूची दी गई है। पुस्तक में घुमंतू व विमुक्त समुदायों के विकास के लिए गुजरात में जो प्रयास किए गए है, उसकी वर्षवार सूची दी गई है। १९४९ से १९९७ के दौरान हुए प्रयासों की रिपोर्ट इससे मिलती है। घुमंतू तथा विमुक्त समुदायों की समग्र पहचान के बारे में विवरण तथा उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ विवरण इस पुस्तक से मिलता है।

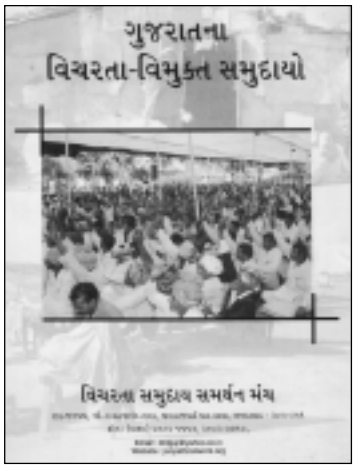

लेखकः मित्तल पटेल, प्राप्ति स्थानः घुमंतू समुदाय समर्थन मंच, जनपथ, बी-३, सहजानंद टावर, जीवराज पार्क चौराहा, अहमदाबाद - ३८० ०५१. फोनः ०७९-२६८२१५५३.

दरिया किनारा संवाद यात्रा - रिपोर्ट

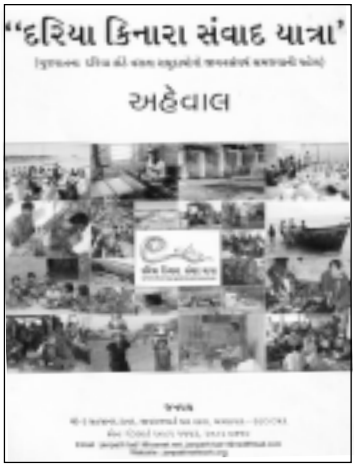

गुजरात के समुद्र तट पर रहने वाले समुदायों के जीवन संघर्ष को समझने की पहल के रूप में यह रिपोर्ट तैयार की गई है। चार चरणों में की गई इस यात्रा में ११ जिलों के १५९ गांवों की रिपोर्ट इसमें दी गई है। इस यात्रा में प्रायोजक समूह के रूप में २२ गैर-सरकारी संगठनों ने भूमिका निभाई थी। समुद्र तट पर रहने वाले मानव समाज - नाविकों और ग्रामीणों ने एक जमाने में गुजरात को काफी कुछ दिया था। स्टीमरों के आने से पहले ये नाविक ही गुजरात के साहसियों को पूर्व अफ्रीका, सुमात्रा, जावा तथा अन्य देशों में सुरक्षित पहुंचाते थे, वहां से विविध प्रकार का माल-सामान भारत में लाने का कार्य करते थे। समुद्र तट पर स्थित गांव की कृषि समृद्ध थी और गांव में अच्छा-खासा पशुधन भी था, कृषि और पशुधन पर गांव के अनेक गृहउद्योग निर्भर थे। ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण अंग कृषि मजदूर को भी रोजी-रोटी मिल जाया करती थी, तो मछुआरों में से भी कुछ समूहों को रोजी प्राप्त होती थी।

परंतु औद्योगिकीकरण, यंत्रीकरण तथा प्रकृति के संसाधनों के असीमित दोहन के कारण समुद्र तट के गांव धीरे-धीरे बेहाल स्थिति में आ गए हैं। असीमित मात्रा में भूमिगत जल का दोहन, खनिज सम्पदा के कानूनी और उससे अनेक गुना गैरकानूनी खनन के कारण समुद्र का खारा पानी आज अपना किनारा छोड़ कर अंदर के क्षेत्र में १५-२० किलोमीटर तक पहुंच जाने के कारण एक जमाने की हरियाली सूख गई है। कुएं के पानी का पीने योग्य नहीं है और न ही सिंचाई के योग्य रहा। समुद्र तट के मानव समाज का एक समूह मछली पकड़ कर रोजी कमाता है। समुद्र परम्परागत रोज़गार देता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मच्छी मारी घटने से मछुआरों जल सीमा से

बाहर जाकर पाकिस्तान की जल सीमा में मछली पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। हर वर्ष अनेक मछुआरे पाकिस्तान के कैदखाने में पहुंच जाते हैं, वहां वर्ष, दो-वर्ष या तीन वर्ष जेल की सज़ा भोगनी पड़ती है। वे जब छूटते हैं तब उनकी आजीविका का साधन-नाव बोट वापस नहीं मिलती। आज तो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में दूर तक जाना उनके लिए जोखिमकारक बन गया है। समुद्र तट के गांवों के गृह उद्योग खत्म हो रहे हैं, कृषि मजदूर तो जहां रोजी मिले, वहां जा रहे हैं, परंतु धरती के साथ जिन्हें माया व ममता है, वे किसान कहां जाएं? समग्र भारत में आज बड़े-बड़े उद्योग आएं, उसके लिए हर सरकार राह देखती है, तब छोटे-छोटे गांवों में बसने वाले, कृषि पर निर्भर, मछली पकड़ने पर निर्भर, हाथ-कंधे की मजदूरी पर निभने वाले, मानव समाज की स्थिति की जानकारी प्राप्ति का जनपथ के कार्यकर्ताओं व सहयोगी संगठनों ने प्रयास किया है। यात्रा के दौरान जामनगर से लेकर उमरगाम कस्बे के समुद्र तट के गांवों का विस्तृत प्रवास किया, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया। समुद्र तट के गांवों में जो देखा, जो सुना, वह गुजरात के बहुजन समाज के समक्ष रखने का प्रयास इसलिए है कि समाज और सरकार उनकी समस्याओं पर समय रहते सोचे और जरूरी कदम उठाए, अन्यथा काफी देर हो जाएगी।

प्राप्ति स्थान : विचरता समुदाय समर्थन मंच, जनपथ, बी-३, सहजानंद टावर, जीवराज पार्क चौराहा, अहमदाबाद-३८० ०५१. फोनः ०७९-२६८२१५५३

पृष्ठ 15 का शेष

संभावना है। जो सिंचाई पर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को भी पानी की किल्लत की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग २२ प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है और ५२ प्रतिशत लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए खेती आय का मुख्य स्रोत है। जलवायु में परिवर्तन से पैदा होने वाले प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डालेंगे और देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। अनेक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा होगा। भारत के करोड़ों लोगों को अभी भी जलवायु में परिवर्तन के विपरीत प्रभावों का अनुभव हो रहा है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ वैकल्पिक जीवन निर्वाह की खोज में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होने की आशंका है।

पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की खेती पर जलवायु परिवर्तन से दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला है। यह अध्ययन ऐसा कहता है कि यदि २०८० तक दुनिया में तापमान ४.४ अंश सेंटीग्रेड बढ़े, तो भारत का कृषि क्षेत्र का उत्पादन ३० से ४० प्रतिशत तक घटेगा। भारत के कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर अकाल और बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, जिससे राजकोषीय घाटा होने की आशंका भी है। यदि समुद्र के स्तर में वृद्धि हो, तो ऐसी आशंका लगती है कि बंगलादेश के साढ़े तीन करोड़ लोग भारत में निर्वासित होंगे। इससे भारत की मौजूदा स्वास्थ्य व स्वच्छता क्षेत्र की कमजोर स्थिति पर और दबाव पैदा होने की संभावना है। ऐसी सभावनाओं के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि भारत का प्रतिभाव पूर्णतः अपर्याप्त है। यदि तापमान में १ अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि हो, तो भारत में गेहूं उत्पादन में ५ से १० प्रतिशत की कमी आने का अनुमान लगाया गया है।

उपसंहार

वैश्विक तापमान में वृद्धि एक तरह ऐसे वैश्विक समस्या है, परंतु इसका हल मात्र वैश्विक नहीं है। वैश्विक स्तर पर कदम उठाने चाहिए, परंतु प्रत्येक देश को ग्रीनहाउस गैसें छोड़ने की मात्रा घटानी होगी। इसके लिए प्रत्येक देश के लोगों को अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करना होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के उपभोग के मामले में विभिन्न देशों में तथा विविध देशों के बीच जो अंतर दिखते हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि इस मामले में धनवान देशों की विशेष जिम्मेदारी है। उच्च उपभोग का स्तर बनाए रखने की बजाए मानव विकास व निरंतर विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

आपका अभिप्राय

__विचार__ को १२ वर्ष पूरे हो गए हैं। हमने इस सामयिक के बारे में आपका अभिप्राय जानने के लिए एक प्रश्नावली दो अंक पूर्व आपको भेजी थी। आप सभी ने उसका जो प्रतिभाव दिया है, वह हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला है। यहां हम आपका अभिप्राय प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग १८०० पाठकों में से कुल १५४ प्रतिभाव प्राप्त हुए थे। इनमें से ४७ प्रतिभाव हिन्दी __विचार__ के पाठकों की ओर से प्राप्त हुए, जबकि शेष प्रतिभाव गुजराती __विचार__ के पाठकों की ओर से मिले थे। इन सभी पाठकों ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। इसी प्रकार सभी पाठकों ने सवालों के जवाब के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक ही विकल्प पसंद नहीं किया है। उन्होंने एक से अधिक विकल्पों का भी चयन किया है। इस दृष्टि से किया गया विश्लेषण निम्नानुसार है:

(१) प्रतिभाव के लिए पूछे गए १० प्रश्नों में पहला प्रश्न था: आप 'विचार' के कबसे नियमित पाठक हैं? इस प्रश्न के जवाब में ३५ पाठकों ने कहा कि वे शुरू से ही 'विचार' के पाठक रहे हैं। अन्य ५० पाठक पांच वर्ष से इसे पढ़ रहे हैं और ४२ पाठक १० वर्ष से पढ़ रहे हैं। २७ पाठकों की समयावधि अलग-अलग रही है।

(२) 'विचार' में विकासोन्मुख मुद्दे शीर्षक के तहत मुख्यतः विचार प्रेरक मुद्दों के बारे में लेखन परोसा जाता है। इस संदर्भ में पाठकों से पूछा गया था कि विकासोन्मुख मुद्दों के बारे में आने वाले लेख आपको कैसे लगे हैं? इस प्रश्न के जवाब में पाठकों ने बहुत ही सकारात्मक प्रतिभाव दिए हैं। २९ पाठकों को ये लेख दिलचस्प लगे हैं, ६७ को सूचनाप्रद और ४४ पाठकों को ये लेख प्रशिक्षण के लिए उपयोगी तथा ६१ को चिंतन प्रेरक लगे हैं।

(३) विकासोन्मुखी मुद्दों से जुड़े लेखों में वर्तमान विषयों को शामिल किया जाता है या नहीं? इस तीसरे प्रश्न के जवाब में १२३ पाठकों ने सकारात्मक जवाब दिया। मात्र दो पाठकों को लगा कि विकासोन्मुख मुद्दों से जुड़े लेखों में वर्तमान विषयों को शामिल नहीं किया जाता। अन्य २५ पाठकों ने कहा कि कभी-कभी विकासोन्मुख मुद्दों के लेखों में वर्तमान विषयों को शामिल किया जाता है।

(४) 'आपके लिए' खंड में आने वाले लेख आपको किस तरह उपयोगी होते हैं? इस प्रश्न के जवाब में भी जो प्रतिभाव आए हैं, वे उत्साहजनक हैं। ७२ पाठकों ने कहा है कि इस खंड में आने वाले लेखों से नीतिगत जानकारी प्राप्त होती है, जबकि ३७ ने कहा है कि उन्हें सांख्यिकी सूचना प्राप्त होती है। हिमायत के लिए इस सूचना के उपयोगी होने की बात २२ पाठकों ने कही। इसके अलावा ८७ पाठकों ने कहा कि इस खंड के लेखों से नई जानकारी प्राप्त होती है।

(५) 'हमारी बात' में आने वाले लेख क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को उचित ढंग से पेश करते हैं? इस प्रश्न के जवाब में १२५ पाठकों ने कहा कि इस खंड में आने वाले लेख गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को उचित ढंग से पेश करते हैं। मात्र दो पाठकों को लगता है कि उचित ढंग से पेश नहीं किए जाते। २२ पाठकों ने कहा कि इस खंड में कभी-कभी गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को उचित ढंग से पेश किया जाता है।

(६) 'विचार' में मंतव्य खंड में विभिन्न वर्तमान मामलों को लेकर विशेषज्ञों व कर्मशीलों के मत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके संदर्भ में भी पाठकों का अभिप्राय चाहा गया था। पांच पाठकों ने कहा कि ये मंतव्य पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। दूसरी तरफ ७९ पाठकों ने इन्हें संतुलित बताया, जबकि ७९ पाठकों ने इन्हें प्रेरक करार दिया। किसी भी पाठक ने इन मंतव्यों को अवांछनीय नहीं बताया।

(७) वर्तमान प्रवाह एक खंड में शामिल कर लिया जाता है। इसमें मुख्यतः स्वैच्छिक क्षेत्र में हुई घटनाओं को ध्यान में लिया जाता है। इस संदर्भ में पूछा गया था कि 'वर्तमान प्रवाह' में विभिन्न गतिविधियों के बारे में विवरण कैसा लगता है? इस प्रश्न के उत्तर में १२

पाठकों ने कहा कि विविध गतिविधियों के बारे में विवरण अपर्याप्त है। ५२ को यह पर्याप्त लगता है, जबकि ९१ पाठकों को विविधतापूर्ण लगता है। मात्र एक पाठक को यह बोर करने वाला लगता है।

(८) इस सामयिक में एक विभाग में विभिन्न पठन सामग्री या अन्य सामग्री की समीक्षा की जाती है और उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस संदर्भ में सवाल पूछा गया कि 'संदर्भ साहित्य' खंड में दिए जाने वाले विविध साहित्य के बारे में जानकारी आपको किस तरह उपयोगी होती है? १०६ पाठकों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। मात्र एक पाठक का जवाब नकारात्मक रहा तथा ३५ पाठकों ने कहा कि उन्हें यह जानकारी कभी-कभी उपयोगी होती है।

(९) समग्र सामयिक के संदर्भ में सवाल पूछा गया था कि आपको किन विषयों पर 'विचार' में अपर्याप्त चर्चा होने या चर्चा नहीं होने की अनुभूति होती है? इस प्रश्न के उत्तर में १२ लोंगों ने कहा कि सामयिक में तमाम विषयों को शामिल किया जाता है। उन्होंने कई विषयों को शामिल करने के बारे में सुझाव दिए। सर्वाधिक २३ पाठकों ने सुझाव दिया कि स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

१० पाठकों ने कहा कि महिलाओं के विकास, उनका स्वास्थ्य व उनके अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य इतने ही पाठकों ने कहा कि शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का अधिकार और शिक्षा में सुधार जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए। आठ पाठकों ने कहा कि बच्चों का विकास, बाल मजदूरी की समस्या तथा बाल अधिकारों के बारे में अधिक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इतने ही पाठकों ने दलित समस्याओं व अधिकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं का संचालन, ग्रामीण विकास व राष्ट्र विकास, खेती और खेत प्रक्रिया की इकाइयों, जीवन निर्वाह आदि विषयों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया।

इतने ही पाठकों का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। सरकारी नीतियों, कानूनों और नियमों के बारे में सरल भाषा में समझाने की पहल 'विचार' द्वारा होनी चाहिए, ऐसा सुझाव भी कई पाठकों का था। वैकल्पिक विकास, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मानवाधिकार, दलित अधिकार तथा उनकी समस्याओं, भ्रष्टाचार की समस्या और वैश्वीकरण व निजीकरण जैसे मुद्दों को जोड़ने के सुझाव भी दिए गए हैं। कुछ पाठकों ने सरकार की वर्तमान योजनाओं के बारे में जानकारी देने और सरकार के अच्छे पहलुओं को उजागर करने की भी मांग की। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता, कौमवाद, राज्य की भूमिका, सकारात्मक राजनीति व समाजनीति, वर्तमान राजनीतिक प्रवाह, जनसंख्या की समस्या, अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं, लोकतंत्र, नागरिक समाज तथा न्यायपालिका की सक्रियता जैसे मुद्दों पर भी सामयिक में प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए।

पाठकों का कहना था कि मीडिया का लोकमानस पर असर और सूचना प्रौद्योगिकी व विकासोन्मुख पत्रकारिता जैसे मुद्दों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। इसके अलावा जिन अन्य मुद्दों पर पाठकों ने चर्चा की मांग की है, वे इस प्रकार हैं: स्वयं सहायता समूह, अनुसंधानात्मक अध्ययन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, आपदा संचालन, व्यावसायिक स्वास्थ्य, ग्लोबल वॉर्मिंग, औद्योगिकरण, गांधी विचार, कामगारों का जीवन, नौकरशाही, आर्थिक असमानता, सामाजिक विकास, सामाजिक लिंग भेदभाव, एड्स, विकलांगता, आत्म विश्वास, पर्यावरण शिक्षा, बरसाती जल संग्रह, दाता संस्थाएं, कैग आदि।

(१०) लगभग १० पाठकों ने सामयिक को मासिक बनाने की सिफारिश की है। 'विचार' के बारे में पाठकों का कुल मिलाकर अभिप्राय निम्नानुसार है:

(१) संस्था के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है और जानकारी देता है। (२) संस्था के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के काम आता है। (३) 'विचार' शिक्षा देने वाला और वर्तमान समस्याओं के लिए सूचनाप्रद है। (४) किसानों का बड़ा वर्ग है और उसके साथ भी 'विचार' जुड़ना चाहिए। (५) अन्य क्षेत्रों की जानकारी मिलती है और अध्ययन किया जा सकता है। (६) विचार-विमर्श तथा आदान-प्रदान के लिए उपयोगी है। (७) 'विचार' गागर में सागर है। (८) सामाजिक विकास के लिए काम करने वालों के लिए उपयोगी है। (९) मुद्रण, चित्रांकन और सम्पादन सुंदर व आकर्षक है। (१०) 'विचार' एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। (११) 'विचार' समस्याओं के निवारण में सहायक बनता है। (१२) 'विचार' बहुत ही उपयोगी व संग्रहणीय प्रकाशन है। इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग हमारे काम में आता है। (१३) भाषा को सरल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। (१४) 'विचार' को मासिक या पाक्षिक के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। (१५) 'विचार' एक स्वच्छ व प्रशंसनीय प्रयास है। (१६) 'विचार' से अच्छी जानकारी मिलती है और वह विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। (१७) 'विकासोन्मुख मुद्दे' के तहत आने वाले लेख अनुसंधानपूर्ण और सुंदर समीक्षा करने वाले होते हैं। (१८) 'वर्तमान प्रवाह' में अपर्याप्त विवरण होता है। इसमें अधिक विवरण के साथ जानकारी होनी चाहिए।

पिछले चार माह (अगस्त से नवंबर, २००८) के दौरान हमने निम्नानुसार गतिविधियां की हैं:

१. नागरिक नेतृत्व और शासन

(क) सामाजिक अन्वेषण तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अमल में पंचायतों का प्रभाव बताने के लिए साबरकांठा जिले में खेडब्रह्मा तहसील की ५ पंचायतों में क्षमता वर्धन तथा जागृति के लिए २००६ से विविध गतिविधियां की जा रही हैं। २००७ में सामाजिक अन्वेषण किया गया। इस अनुभव के आधार पर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष हिमायत की गई। 'उन्नति' को एनआरईजीएस में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के पहलू को लेकर १०० तहसील विकास अधिकारियों की अभिमुखता के लिए एसआईआरडी को समर्थन देने के लिए कहा गया। यह कार्यक्रम चार चरणों में १४-१५, १७-१८, २१-२२ अक्टूबर और १९-२० नवम्बर, २००८ को किया गया। राजस्थान में सामाजिक अन्वेषण मंच का गठन पंचायत स्तर पर किया गया। उन्होंने ही अगस्त-सितंबर, २००८ के दौरान सामाजिक अन्वेषण किया। लूणी तहसील के सामाजिक अन्वेषण मंच की अभिमुखता के लिए पंचायत समिति ने समर्थन दिया। इसमें २७ लोगों ने भाग लिया। जरूरत पड़ने पर मंच के सदस्यों को सूचना का समर्थन दिया गया। लूणी तहसील की पांच पंचायतों की ग्राम सभाओं में 'उन्नति' के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत को नागरिक नेताओं के संसाधन समूह द्वारा प्रोत्साहन दिया गया तथा मानदंडों के पालन के लिए प्रयास किए गए।

(ख) नागरिक नेताओं की क्षमता वर्धन

पिछले ५ वर्ष से शासन को पारदर्शी व जिम्मेदार बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से शामिल किया जाता है। कुछ नागरिक नेताओं की क्षमता को पहचाना गया। गुजरात में अहमदाबाद जिले में ३०, साबरकांठा में ५० ग्राम पंचायतों में यह काम किया गया। इससे उनकी सामाजिक व राजनीतिक क्षमता वर्धन हुआ। साबरकांठा के १३ पुरूष व पांच महिला और विजय नगर के २४ पुरुष व ७ महिला नागरिक नेताओं ने २ सितम्बर व ७ नवम्बर, २००८ को आयोजित अभिमुखता कार्यक्रमों में भाग लिया। ये क्रमशः एनआरईजीएस के तहत आयोजन व सामाजिक अन्वेषण विषय पर आयोजित हुए। उन्होंने इस बारे में कार्यलक्ष्यी योजनाएं बनाईं। खेडब्रह्मा, मोडासा, विजयनगर, ईडर, दस्क्रोई तथा धोळका तहसील के ३४ नागरिक नेताओं ने १६-१७ जुलाई, २००८ के दौरान आयोजित अंतरवैयक्तिक प्रत्यायन कौशल सम्बंधी कार्यक्रम में भाग लिया। वे उनके गांवों की घटनाओं या अच्छी बातों का दस्तावेजीकरण अच्छी तरह कर सकें तथा मीडिया के समक्ष आ सकें व सम्बंधित स्तर पर अपनी आवाज पेश कर सकें, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाना ही इसका उद्देश्य था। अहमदाबाद में दसक्रोई तहसील में सूचना अधिकार शिविरों के दौरान ६५ लोगों ने भाग लिया और २० आवेदन किए। ये शिविर निर्धारित स्थलों पर आयोजित हुए, जिससे नागरिक उत्तरदायित्व तय करने के लिए सूचना अधिकार का उपयोग करने के लिए सक्षम बनें। इसी प्रकार राजस्थान में अगस्त-२००८ तक जोधपुर के लूणी तालूका में १० ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाया जा रहा है और इसमें नागरिक समूहों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि वे ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के बीच सेतु बन सकें। तहसील स्तर पर इन समूहों का मंडल बनाया गया है।

(ग) पंचायत संदर्भ केन्द्र और शहरी संदर्भ केन्द्र

हाल में गुजरात में अहमदाबाद जिले में दसक्रोई व धोळका तथा साबरकांठा जिले में खेडब्रह्मा में ३ तथा राजस्थान में जोधपुर जिले में लूणी तहसील में एक पंचायत संदर्भ केन्द्र काम करते हैं। इन केन्द्रों द्वारा २० ऐसी पंचायतों को सूचना का समर्थन दिया जाता है, जिनमें दलित व महिलाएं सरपंच हैं ताकि वे अपना रोजमर्रा का काम कर सकें। लूणी तहसील में छह पंचायतों को एनआरईजीएस के तहत आयोजन व सामाजिक अन्वेषण तथा मतदाता पहचान पत्र के लिए समर्थन दिया गया।

जोधपुर नगर में ४ वार्डों में १० झोंपड़पट्टियों में शहरी संदर्भ केन्द्र द्वारा ५ नागरिक समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनके प्रयासों के

कारण ८ झोंपड़पट्टियों में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत हुई, दो झोंपड़पट्टियों में पानी व रास्ते की समस्या हल हुई, एक झोंपड़पट्टी में पांच बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा गया तथा एक झोंपड़पट्टी में २५ महिलाओं के दो स्वयं सहायता समूह बनाए गए। सरकारी योजनाओं के बारे में तथा मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। १२ लोगों को सामाजिक सुरक्षा की विविध योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद की गई। सूचना प्राप्ति के लिए १४ महिलाओं सहित ४४ लोगों ने इस संदर्भ केन्द्र की मुलाकात ली।

(घ) निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन

यूएनडीपी के समर्थन से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के आईजीपीआरएस तथा 'उन्नति' को राजस्थान में पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था। इसमें सूचना का प्रचार-प्रसार, तमाम प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और हार्डवेयर मैपिंग का समावेश था। इसके तहत सामाजिक अन्वषण के बारे में 'स्वराज अपडेट' त्रिमासिक का विशेषांक प्रकाशित किया गया तथा ९१८९ ग्राम पंचायतों, २३७ तहसील पंचायतों और ३२ जिला पंचायतों में उसका वितरण किया गया। अक्टूबर-नवंबर, २००८ के दौरान ग्राम सेवकों व सरपंचों के अभिमुखता कार्यक्रम लूणी, मंडोर, जैसलमेर व चौहटन तहसीलों में हुए। पंचायतों के हार्डवेयर मैपिंग सम्बंधी जानकारी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व पाली जिलों की ५ तहसीलों में एकत्र की गई। गुजरात में साबरकांठा व अहमदाबाद जिले की चार तहसीलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मंडलों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने बाद में विविध हितधारकों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर सम्पर्क किया तथा वे अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच बने। जुलाई, २००८ में यह प्रक्रिया तीन तहसीलों में पुनः शुरू की गई। महिला नेताओं की जरूरतों की पहचान की गई तथा उनकी क्षमता वर्धन के लिए अभिमुखता कार्यक्रम हुए। हर माह इन मंडलों की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। २५ महिला प्रतिनिधियों व महिला नेताओं ने १४ नवम्बर, २००८ को सामाजिक लिंग भेदभाव सम्बंधी एक कार्यशाला में भाग लिया।

(च) जरूरत-आधारित योजना

पिछले पांच वर्ष से पंचायतों के समावेश के साथ जरूरत आधारित सहभागी योजनाएं तैयार की गईं। इन अनुभवों के आधार पर ऐसे सरल और सामान्य ढांचे तैयार किए गए जिन्हें लोग और पंचायतें उपयोग में ले सकें। इस वर्ष साबरकांठा में तीन पंचायतों दंत्राल, अंबरेली वदेवडी में ऐसी योजनाएं तैयार की गईं।

(छ) हिमायत

फरवरी, २००८ में उन्नति ने जीयूडीसी के साथ सहयोग कर शहरी स्थानीय निकायों में घन कचरा प्रबंध के लिए तालीम का आयोजन किया। फिर कडी, ऊंझा, सिद्धपुर और डभोई पालिकाओं की ठोस कचरा प्रबंध व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के लिए मुलाकात ली गई। प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुईं और झोंपड़पट्टियों की समस्याएं पहचानी गईं। 'उन्नति' जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन के तहत अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में सिटी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप तथा सिटी टेक्निकल वॉलंटियर्स कोर के लिए ऐंकर संस्था है। स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के साथ राजकोट मनपा के साथ सहयोग में २१ अक्टूबर, २००८ को राजकोट में एक परामर्श सभा की गई ताकि उपरोक्त दोनों समूहों को अंतिम रूप दिया जा सके। मनपाओं, गैर-सरकारी संगठनों, विद्वद्जनों और समुदायों से कुल ८२ लोगों ने इसमें भाग लिया। नागरिक नेतृत्व को बढ़ावा देने की बड़ी परियोजना के तहत भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का दस्तावेजीकरण हो रहा है। इसमें धोळका व भचाऊ के नागरिक नेताओं के दो सफल किस्सों का दस्तावेजीकरण हुआ। इसमें पानी व सफाई की स्थिति सुधारने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों तथा पुनर्निर्माण व पुनर्वास में उनकी भूमिका को उजागर किया गया।

(ज) कार्यलक्ष्यी अनुसंधान

राजस्थान में स्थानीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता के बारे में दो वर्षीय अनुसंधान अध्ययन तैयार किया गया और नेपाल में ५-१० अगस्त, २००८ के दौरान आयोजित दक्षिण एशिया की कार्यशाला में इस बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया। २१-२४ नवंबर, २००८ के दौरान मैक्सिको में आयोजित वैश्विक कार्यशाला में एक अध्ययन लेख प्रस्तुत किया गया।

२. सामाजिक समावेश व सशक्तिकरण

(क) दलित अधिकार

राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में ११ दलित संदर्भ केन्द्रों द्वारा दलितों के अधिकारों के लिए कार्य किया जाता है। १३ दलित पुरुषों व छह दलित महिलाओं के अत्याचार के मामले और ६९ बीघा जमीन के अतिक्रमण के ३ मामले हाथ में लिए गए। पिछले छह माह के दौरान दो तहसीलों में महिलाओं की जमीन मालिकी के मुद्दे पर प्रयास किए जा रहे हैं और पांच मामले हाथ में लिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव के मामले दो स्थानों पर उठाए गए। विविध सरकारी योजनाओं का लाभ ३१ लोगों को दिलाया गया और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत २२ आवेदन करने के लिए सहायता दी गई। दलित अधिकार अभियान में नए ७७ पुरुषों व ४२ महिलाओ समेत ११९ लोग सदस्य पंजीकृत हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में दलित गरिमा यात्रा ८८ गांवों में आयोजित हुई। ३-१९ नवंबर, २००८ के दौरान इस यात्रा में संगठन की प्रक्रिया मजबूत बनाने का प्रयास किया गया तथा समस्याओं को लेकर जागरूकता लाई गई। इस कार्यक्रम द्वारा लगभग १५ हजार लोगों तक पहुंचा जा सका। 'दलित अपडेट' द्विमासिक के दो अंक प्रकाशित किए गए, जिसमें सरकारी योजनाओं व महिला अत्याचारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जोधपुर में २०-२४ अक्टूबर, २००८ के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में तथ्यान्वेषण कार्यशाला में १३ गैर-सरकारी संगठनों के २८ लोगों ने भाग लिया।

(ख) महिला-पुरुष सामाजिक भेदभाव

'सद्गुरु वॉटर एण्ड डेवलपमेंट फाउण्डेशन' तथा 'वास्मो' के लिए दो कार्यशालाएं हुईं। अंधजन मंडल के वरिष्ठ संचालकों के लिए जेंडर नीड एसेसमेंट के लिए कवायद की गई, जिससे वे उनकी मौजूदा प्रवृत्तियों में महिला-पुरुष सामाजिक भेदभाव को शामिल कर सकें। काम के स्थान पर यौन शोषण के मामले में जांच की कार्यवाही के लिए दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया गया। महिला-पुरुष सामाजिक भेदभाव, महिला आंदोलन का इतिहास तथा महिलाओं व जमीन के अधिकारों पर शोधपत्र तैयार हो रहे हैं। ऐसी पठन-सामग्री का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है जिसे आसनी से उपयोग में लिया सकें।

(ग) विकलांगता की समस्या को मुख्य धारा में लाना

हैंडीकैप इंटरनेशनल द्वारा लागू की जा रही डिपेको परियोजना की मुख्य टीम के हिस्से के रूप में 'उन्नति' ने मैनेजरों व क्रियान्वयन कर्ताओं के लिए आपदा जोखिम घटाने में विकलांगता की समस्या को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशिक्षण मैन्युअल की समीक्षा में भाग लिया। एक्सेस रिसोर्स ग्रुप के तहत हमने गुजरात विद्यापीठ के रांधेजा व सादरा परिसर के एक्सेस ऑडियो के लिए २२ नवम्बर को भाग लिया।

(घ) जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन

कच्छ के बड़े रण के क्षेत्र की २०० महिला कारीगरों की कुशलता के आकलन के आधार पर भविष्य में उपयोग में आने वाली २९ टांकों की एक डिजाइन तैयार की गई है। २००१ के भूकम्प के बाद इन महिलाओं के जीवन निर्वाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। २१-२४ अक्टूबर, २००८ के दौरान भचाऊ में महिला कारीगरों के ९ स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। उनकी स्थिति, वर्तमान जरूरत और भावी भूमिका के बारे में अध्ययन किया गया। उनके द्वारा तैयार की गई अर्ध-तैयार वस्तुएं बेची गईं, कशीदाकारी वाली बिक्री योग्य वस्तुएं तैयार की गईं और नई डिजाइनें विकसित की गईं, जिससे बाजार के साथ सम्पर्क बन सके।

३. आपदा जोखिम घटाने के सामाजिक निर्धारक

२५-२८ अगस्त और २३-२५ सितंबर, २००८ के दौरान राजस्थान व गुजरात के गैर-सरकारी संगठनों के लिए आपदा जोखिम घटाने सम्बंधी दृष्टिकोण की समझ स्थापित करने व समुदाय-आधारित जोखिम घटाने की योजना तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान के १७ गैर-सरकारी संगठनों के ३५ लोगों तथा गुजरात के १४ संगठनों के २९ लोगों ने इसमें भाग लिया। वे उनके कार्य क्षेत्रों में जोखिम व संकट का आकलन करने पर सहमत हुए हैं। इस बारे में तथा आपदा सम्बंधी समस्याओं को लेकर 'स्वयं शिक्षा प्रयोग' को भी अभिमुखता का समर्थन दिया गया।

राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर पर जो कानूनी ढांचा है, उसे जांचा गया है और व्यापक उपयोग व हिमायत के उद्देश्य के लिए सरल स्वरूप में रखा गया है। इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश से सूचना एकत्र की गई है। श्रेष्ठ प्रणालियों को समझने के लिए राज्य के विभिन्न भागों का प्रवास किया गया। पुस्तिका व डीवीडी का एक सेट आपदा के संदर्भ में निःसहायता को समझने के लिए तैयार किया गया है। इससे आपदा जोखिम घटाने के विचार विकास के कर्मशीलों में लोकप्रिय बनेगा और वे समुदाय स्तर पर चर्चा कर सकेंगे। नवीन प्रणालियों को लेकर शैक्षणिक साहित्य तैयार करने के तहत गुजरात में जामनगर जिले में स्कूल की सुरक्षा के लिए हुए प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया।

राजस्थान में पिछले १४ महीनों से समुदाय व नागरिक समाज की संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने तथा समुदाय आधारित आपदा जोखिम घटाने सम्बंधी नवीन प्रणालियों का निदर्शन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पांच स्थानों पर घास-चारे की सुरक्षा स्थापित करने के लिए गोचर की जमीन के विकास और सबसे असहाय समुदाय के लाभ के लिए प्रयास किए गए हैं।

बाड़मेर के सिंदरी, बालोतरा व कल्याणपुर तहसील के तथा जोधपुर के शेरगढ़ व फलौदी तहसील के सीमांत और छोटे किसानों के ३८ परिवारों की सहायता की गई। तमाम पहलुओं में समुदाय की सहभागिता के साथ अमल करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। किसानों को विशेषज्ञों द्वारा तालीम और खेत पर ही तकनीक उपलब्ध कराई गई है तथा उन्हें नए विषयों को ज्ञान मिला है। दलितों व असहाय समुदायों की जलसंग्रह क्षमता बढ़ाई गई है। पांच स्थानों पर दलित समुदाय के लिए समुदाय आधारित जल वितरण व्यवस्था की गई है और इससे १००० परिवार लाभान्वित हुए हैं। औचित्य व खर्च-लाभ विश्लेषण द्वारा ट्रैक्टर की खरीदी और जमीन का विकास करने की जरूरत महसूस हुई। खर्च, उपयोग की पद्धति तथा रखरखाव की व्यवस्था के लिए जो अनुभव हुए, उसके आधार पर व्यावसायिक मॉडल के आधार पर उसका विकास करने की आवश्यकता है। सहभागी शिक्षा केन्द्र और मालतेसर इंटरनेशनल के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश में केसरगंज तहसील में पांच पंचायतों में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए लोगों की प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ६० सबसे अधिक असहाय परिवारों के घरों की सतही ऊंचाई बढ़ाने की मुख्य प्रवृत्ति चल रही है। पीने के शुद्ध पानी के लिए हैण्ड पम्प, जल संग्रह के स्थान स्थापित करने तथा इसके लिए काम करने के लिए नकद सहायता की योजना का अमल तथा बाढ़ की परिस्थितियों में आपदा के प्रतिकार के लिए समुदाय की तैयारी आदि जैसी प्रवृत्तियों को भी शामिल किया गया है।

४. ज्ञान निर्माण और आदान-प्रदान

१३-१७ अक्टूबर, २००८ के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए सहभागी प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा प्रक्रिया के बारे में एक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें १८ संगठनों की १४ महिलाओं व १५ पुरुषों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण गैर-सरकारी संगठनों व प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए आयोजित हुई। इसकी बैठकों में प्रशिक्षण की डिजाइन तैयार करने की कुशलता पर जोर दिया गया। १५-१७ सितंबर, २००८ के दौरान जोधपुर में स्टाफ के क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला हुई। इसमें ७ संगठनों के २१ सहभागियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आधारित संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्षमता निर्माण के उद्देश्य से २०-२२ सितंबर, २००८ के दौरान अधिकार आधारित दृष्टिकोण, समुदाय में संगठन तथा हिमायत के बारे में बाड़मेर में 'श्योर' के स्टाफ के लिए एक कार्यशाला की गई। राजस्थान में ८ सहभागी संगठनों को संस्था निर्माण में समर्थन दिया गया। इसमें दस्तावेजीकरण, संचालन व्यवस्था और शासन व्यवस्था का निर्माण जैसे मुख्य विषय थे। कम्बोडिया की सरकार और नागरिक समाज के समूहों के छह व्यक्तियों के एक समूह ने सामाजिक उत्तरदायित्व के साधनों के बारे में जानकारी लेने के लिए गुजरात का दौरा किया। रिपोर्ट कार्ड का उपयोग सामाजिक अन्वेषण, स्वयं घोषणा और सहभागी आयोजन सम्बंधी प्रयासों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान हुआ। सेवा मंदिर के २० लोग शहरी क्षेत्रों में हो रहे प्रयासों को समझने के लिए आए।

पृष्ठ 1 का शेष

के कामकाज के बारे में लोगों के पास जरूरी सूचना होनी चाहिए और उत्तरदायित्व की उचित व्यवस्था होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। दक्षिण एशिया के तमाम देशों में कर और बजट आवंटन लोककेन्द्री बनें तथा उनका मानव विकास में योगदान देना जरूरी है। दक्षिण एशिया में पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बंध हों, लोगों के बीच सम्पर्क हों, व्यापार हो तथा सीमाओं के आरपार लोग मुक्त रूप से आ-जा सकें, तो सम्बंध सुधरेंगे और सुरक्षा खर्च में कमी आएगी।

धनवान और गरीब सभी स्वीकारते हैं कि दक्षिण एशिया और इसके प्रत्येक देश के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। कुछ गरीब-विरोधी लॉबियों के दावों के अनुसार दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर तथा मछुआरे जैसे गरीब विकास के विरोधी नहीं हैं। वे तो सामाजिक समावेश रहित विकास का प्रतिकार करते हैं तथा उसका प्रतिकार तो उन्हें करना ही चाहिए। जो विकास मात्र मुनाफा प्रेरित होता है और रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर संजीदा नहीं होता, काम की उचित स्थिति तथा पर्याप्त वेतन पर ध्यान नहीं देता है, उसका तो विरोध होगा ही।

दक्षिण एशिया में आतंकवाद एक वास्तविक समस्या है। यह लोकतंत्र के खिलाफ खतरे पैदा करता है। हालांकि हम आतंकवादियों और उनके संगठनों को पहचानने के विषय में चयन करते हैं। पुलिस, राजनेता, अफसर, व्यवसायी तथा माफियाओं की लॉबियां मुंबई, मालेगांव, बाबरी मस्जिद, कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत, अक्षरधाम तथा गुजरात के दंगों, धमाकों और हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी प्रकार के आतंकवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समावेशी दक्षिण एशिया के सामने खतरे पैदा करते हैं। लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर सके तथा संयुक्त राज्य दक्षिण एशिया का एक-एक नागरिक साक्षर, स्वस्थ, रोजगार प्राप्त करने वाला, स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो। यदि हम प्रतिबद्ध बनें, तो सीमारहित, एक ही मुद्रा वाला, दक्षिण एशिया की एक संसद वाला, दक्षिण एशिया मानवाधिकार घोषणापत्र वाला और महिला आयोग वाला, समावेशी अल्पसंख्यक आयोग वाला तथा अच्छी शिक्षा वाला नूतन दक्षिण एशिया बन सकता है।

फादर जिमी डाभी
रिफ्यूजी सर्विस टीचिंग-सोशल रिसर्च
एज्यूकेशन एण्ड ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट
हेरात एण्ड बामियान युनिवर्सिटी
अफगानिस्तान

उन्नति

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
खसरा नं. 650, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चौपासनी बाई पास लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान
फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही
मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 98251-56402

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।